

**नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण
एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01/04/2015 से 31/03/2017

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81- फिन (एल०ए०) खण्ड –(ख) IV, दिनांक 10.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद चम्बाके लेखों अवधि 1.4.15 से 31.3.17 तक का अंकेक्षण कार्य किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित द्वारा प्रधान नगर परिषद एवं कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य किया गया:-

(i) प्रधान, नगर परिषद

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	सुश्री अनीता ठाकुर	1.4.15 से 31.01.2016 तक
2	श्रीमति नीलम नैयर	01.02.2016 से 31.3.17 तक

(ii) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद

क्र० सं०	नाम	पद	अवधि
1	श्री अमन कुमार राणा (अतिरिक्त कार्यभार)	तहसीलदार	01.04.15 से 14.06.15 तक I
2	श्री ललित कुमार	कार्यकारी अधिकारी	15.06.15 से 05.04.16 तक I
3	श्री अमन कुमार राणा (अतिरिक्त कार्यभार)	तहसीलदार	26.04.16 से 27.08.16 तक I
4	श्रीमति शशि बिजलवान	DWO	30.08.16 से 31.10.16 तक I
5	श्री विरेन्दर सिंह आर्य	CDPO	21.11.16 से 26.11.16 तक
6	श्री हरजिन्दर सिंह	ATPO	30.11.16 से 31.03.17 तक I

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹)लाखों में
1	चैक को बैंक खाते में जमा न करना	4(क)(i)	1.05
2	सावधि जमा निवेश पर प्राप्त ब्याज की राशि को रोकड़ वही में दर्ज न करना	4(ख)(i)	3.02
3	अधिविकर्ष (Overdraft limit) पर बैंक द्वारा चार्ज किए गए ब्याज राशि को रोकड़ वही में दर्ज न करना	4(ख)(ii)	1.09
4	चैक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत न करना	4(घ)(i)	0.10
5	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर ब्याज के रूप में हुई वित्तीय हानि	5(ख)	0.73
6	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर कम ब्याज दर से, ब्याज देने के परिणामस्वरूप हुई वित्तीय हानि बारे	5(ग)	0.98
7	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज पर बैंक द्वारा स्रोतों पर कर कटौती (TDS) करने के परिणामस्वरूप ब्याज की हुई वित्तीय हानि बारे	5(घ)	3.20
8	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर कम ब्याज दर से, ब्याज देने के परिणामस्वरूप ब्याज की हुई वित्तीय हानि बारे	5(ड.)	0.61
9	नगर परिषद द्वारा विभिन्न बैंकों में अधिविकर्ष (Overdraft limits) ऋण लेने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में हुई वित्तीय हानि बारे	6	14.49
10	दिनांक 31.03.17 को अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	7(क)	800.98
11	दिनांक 31.03.17 को गृह कर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8(क)	167.32
12	नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का	8(ख)	24.05

	निर्धारण नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप हुई वित्तीय हानि		
13	दिनांक 31.03.17 तक दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	9(क)	44.51
14	दिनांक 31.03.17 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस वसूली हेतु शेष	10	1.10
15	पार्किंग स्थल की नीलामी की बकाया राशि की वसूली न करना	11(i)	4.27
16	रेहन वसेरे को ठेके पर देने के परिणामस्वरूप देय राशि की वसूली न करना	12	1.68
17	विश्राम गृह को ठेके पर देने के परिणामस्वरूप बकाया राशि की वसूली न करना	13	8.95
18	जंजघर को ठेके पर देने के परिणामस्वरूप बकाया राशि की वसूली न करना	14(i)	39.47
19	दण्ड शुल्क के रूप में देय राशि वसूली न करना I	14(ii)	34.46
20	जंजघर को किराये पर न देने के परिणामस्वरूप हुई वित्तीय हानि बारे	14(iii)	3.75
21	तहबाजारी शुल्क की कम वसूली करना	15	1.43
22	वाहन पार्किंग, रेहन वसेरा व विश्राम गृह से प्राप्त किराये पर सेवाकर का भुगतान न करना	16	5.15
23	गौ सदन के लिए तूड़ी की खरीद पर किया गया संदिग्ध भुगतान	17(क)	0.26
24	संविदाकारों द्वारा देय E.P.F. Contribution की राशि का MC निधि खाते से किया गया अनुचित भुगतान	18	6.72
25	नगर परिषद में कार्यरत 23 न. सफाई कर्मचारियों (नियमित) को वेतन व भत्ते के रूप में किया गया व्यर्थ भुगतान	19	73.00
26	नगर परिषद चम्बा के विश्राम गृह की मुरम्मत व रख-रखाव पर किया गया अनुचित भुगतान	20	1.63
27	यात्रा भत्ते के रूप में किया गया अधिक भुगतान	22	0.07

28	बजट प्रावधान राशि से स्थापना पर किया गया अधिक व्यय	23(क)	232.29
29	विभिन्न कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किया गया अधिक भुगतान	23 (ख)	3.80
30	विभिन्न अग्रिमों का समायोजन न करना	24(क)	4.34

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क” पर दिया गया है।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद चम्बा के लेखों अवधि 01/04/2015 से 31/03/2017 तक का अंकेक्षण श्री विजय कुमार वालिया, सहायक नियन्त्रक तथा श्री नरेन्द्र कुमार, आ.स. द्वारा दिनांक 15.01.2018 से 14.03.2018 तक चम्बा में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	03/2016	10/2015
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चम्बा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर परिषद के अवधि 01/04/15 से 31/03/17 तक के लेखाओं के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹73200 आँका गया। उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम

बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या FIN(LA)C/K&C/2018-28 दिनांक 06.03.2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चम्बा द्वारा ड्राफ्ट संख्या- 516448 दिनांक 14.03.2017 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला- 171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद के अवधि 01/04/15 से 31/03/17 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट “ख” पर दिया गया है :-

(क) मुख्य रोकड़ वही (M.C.Fund) :-

वित्तीय वर्ष (₹)	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक शेष (₹)	63070809	53823080
अपने स्रोतों से आय (₹)	11141093	14094961
अनुदान राशि (₹)	36677862	49222835
ब्याज (₹)	2173647	3701563
अन्य प्राप्तियां (GPF/CPF /Gratuity etc.) (₹)	5270897	4432522
कुल राशि (₹)	118334308	125274961
व्यय (₹)	64011228	62759342
NULM खाते को हस्तान्तरित राशि (₹)	500000	750574
अंतिम शेष (₹)	53823080	61765045

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹61765045

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹63306491.04

अन्तर की राशि : ₹ (-)1541446.04

बैंक समाधान विवरण 31.03.17

क्रम स.	विवरण	डेबिट (₹)	क्रेडिट (₹)
	Balance as per cash book	61765045	
1	Cheque issued but not Presented for payment in bank till 31.3.17		
	Date Cheque no. Amount		
	18.03.17 399161 1600		
	29.03.17 L.No.2158 228533		
	29.03.17 L.No.2159 172560		
	29.03.17 L.No.2172 19127		

30.03.17	L.No.2173	78305	
30.03.17	L.No.2174	8000	
30.03.17	L.No.2175	2000	
31.03.17	399165	90200	
20.03.17	000202	2050	
31.03.17	000207	69603	
31.03.17	000208	124176	796154

2. Amount/cheques deposited into bank but not cleared by the bank till 31.3.17

Dt.20.02.15 ch.no. 776418	2000	
Dt.06.03.16 ch.no.000205	25000	
Dt.06.03.16 ch.no.000206	25000	
Dt.07.03.16 ch.no.000207	25000	
Dt.07.03.16 ch. No.000208	25000	
Dt.04.10.16 ch.no.245867	3096	
Dt.31.03.17 ch.no.368396	31884	
Dt.31.03.17 ch.no.269092	56337	
Dt.31.03.17 ch.no.953866	27216	
Dt.31.03.17 ch.no.194937	22284	
Dt.31.03.17 ch.no. 000050	16080	
Dt.31.03.17 ch.no. 212898	90200	
Dt.31.03.17 ch.no. 331356	14526	
Dt.17.10.16 L.no.397	1710	
Dt.17.10.16 L.no.398	510	
Dt.17.10.16 L.no.399	1710	367553

Interest earned on FDR's a/c no3494892518	1112833	
₹1.50 Crore but not entered in cash book till 31.03.17.		
Excess credit given by bank (as per previous audit report)	13	
Difference (round off)		0.96
Balance as per various banks (As per detail given below)		63306491.04
Total Rs.	63674045.00	63674045.00

Detail of closing balance as per various bank a/cs as on 31.03.17:-

Name of bank	Account no.	Closing balance (₹)
HPSCB-O/D A/C	17950600065	(-)12090.00
HPSCB Saving A/C	17910117303	16098618.00
HPSCB FDR'S A/C	17930307227	40000000.00
SBI FDR'S A/C	3494892518	16112833.00
SBI O/D A/C	35043348981	(-)12764843.97
SBI SAVING A/C	30986744343	17234.00

HDFC (Own source)	50100065459872	3854740.01
Total closing balance		63306491.04

(i) बैंक खातों में ₹1.05 लाख के जमा किए गए चैकों का बैंक द्वारा जमा प्रदान न करना

नगर परिषद के सामान्य खाते की बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि लग-भग 2 वर्ष पूर्व निम्न विवरणानुसार ₹105096 के चैक बैंक में जमा करवाए गए थे परन्तु नगर परिषद के बैंक खाते में उन चैकों का जमा प्राप्त नहीं हुआ था जबकि चैक की वैधता निर्गमन से 3 माह तक ही होती है। अतः यह चैक अब कालातीत हो चुके हैं। अतः यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाकर इन चैकों के जमा प्रदान न करने के कारणों की पुष्टि करने के पश्चात ₹105096 रोकड़वही के व्यय पक्ष में वापिस लेना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में यह चैक बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो :-

Amount/cheques deposited into bank but not cleared:-	(₹)
Dt.20.02.15 ch.no. 776418	2000
Dt.06.03.16 ch.no.000205	25000
Dt.06.03.16 ch.no.000206	25000
Dt.07.03.16 ch.no.000207	25000
Dt.07.03.16 ch. No.000208	25000
Dt.04.10.16 ch.no.245867	3096
Total Rs.	105096

इसके अतिरिक्त आंतरिक स्तर पर छानबीन करके यह पता लगाया जाए कि उक्त प्राप्त चैक किस प्रकार की आय से सम्बन्धित थे जैसे:- दुकान किराया, गृहकर तथा पार्किंग इत्यादि तथा तदोपरांत इन राशियों की वसूली और समायोजन सम्बन्धित आय की बकाया राशि से भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए ।

(ख) Deposit work account रोकड़वही :-

वित्तीय वर्ष (₹)	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक शेष (₹)	4470253	762088
अनुदान राशि (₹)	2236068	6717750
अन्य प्राप्तियां (₹)	95698	0
ब्याज (₹)	66620	55116
कुल राशि (₹)	6868639	7534954
व्यय (₹)	3606551	2919504

हस्तान्तरित राशि (FDR'S & Return to AC to DC) (₹)	2500000	1360000
अंतिम शेष (₹)	762088	3255450

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹3255450.00

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹5129529.75

अन्तर की राशि : ₹ (-)1874079.75

बैंक समाधान विवरण - 31.03.17

क्र.स.	विवरण	डेबिट (₹)	क्रेडिट (₹)
	Balance as per cash book	3255450	
1	Grant received from D.C.Chamba for deposit work but deposited & entered in main cash book and also entered in deposit work cash book:- Ch. No.029344 dt.11.08.11 Rs. 50000 Ch. No.301944 dt.30.08.11 Rs. 90000 Ch. No.107944 dt.27.04.11 Rs. 200000 Ch. No.029395 dt.07.05.12 Rs. 300000 Ch. No.5636184 dt.06.06.12 Rs. 80000 Ch. No.464685 dt.20.09.12Rs. 304000		1024000
2	Amount withdrawn from bank (NEFT) on dt.9.06.15 but not entered in cash book		10698
3	Bank charges debited by bank but not entered in cash book (MCC issue)		184
4	Interest credited by bank but not entered in cash book (Saving a/c)	25604	
5	Interest on FDR's credited by bank in o/d a/c but not entered in cash book:- Dated 10.08.15 Rs.15311 Dated 10.09.15 Rs.15363 Dated 10.10.15 Rs.15363 Dated 10.11.15 Rs.15363 Dated 10.12.15 Rs.15363 Dated 10.01.16 Rs.15363 Dated 10.02.16 Rs.15363 Dated 10.03.16 Rs.15363 Dated 10.04.16 Rs.15363 Dated 10.05.16 Rs.15363 Dated 10.06.16 Rs.15363 Dated 10.07.16 Rs.15363 Dated 10.08.16 Rs.15363		

	Dated 10.09.16 Rs.15363		
	Dated 10.10.16 Rs.15363		
	Dated 10.11.16 Rs.15363		
	Dated 10.12.15 Rs.15363		
	Dated 10.01.17 Rs.15363		
	Dated 10.02.17 Rs.12956		
	Dated 10.03.17 Rs.12956	302394	
6	Interest debited by bank in O/D a/c but not entered in cash book:-		
	Dated 15.07.15 Rs.114		
	Dated 31.07.15 Rs. 204.21		
	Dated 31.08.15 Rs.3379.65		
	Dated 30.06.15 Rs.4381.99		
	Dated 31.10.15 Rs.4452.17		
	Dated 30.11.15 Rs.4231.11		
	Dated 31.12.15 Rs.4288.49		
	Dated 31.01.16 Rs.4206.03		
	Dated 29.02.16 Rs.3859.38		
	Dated 12.03.16 Rs.630 (BC-keeping fee)		
	Dated 31.03.16 Rs.4040.55		
	Dated 30.04.16 Rs.3831.72		
	Dated 31.05.16 Rs.3882.18		
	Dated 30.06.16 Rs.3784.80		
	Dated 31.07.16 Rs.4131.25		
	Dated 31.08.16 Rs.7445.29		
	Dated 30.09.16 Rs.7338.92		
	Dated 31.10.16 Rs.7652.84		
	Dated 30.11.16 Rs.7354.62		
	Dated 31.12.16 Rs.7539.15		
	Dated 31.01.17 Rs.7480.87		
	Dated 28.02.17 Rs.6718.22		
	Dated 12.03.17 Rs.632.50 (keeping fee)		
	Dated 31.03.17 Rs.7391.67	108971.61	
7	Amount paid by bank Rs.27002/- instead of Rs. 27275 (Rs.27275/- was booked in expenditure side of cash book) vide ch.no. 732213 dt. 30.07.16 (27275-27002)	273	
8	Cheque issued but not yet presented for payment vide ch. No. 707616 dt. 25.03.17	275000	
9	Amount of FDR's deducted from cash book on dt.07/2015 (to be add back)	2500000	
10	Amount withdrawn/transfer from SBI O/d a/c to SBI saving a/c-14089 on dt.22.07.15 which		85000

is entered in cash book's income side as transfer entry but not entered in payment side of cash book as transfer entry.

Difference upto 31.03.2015 (not reconciled)	337.64
Balance as per pass book	5129529.75
Total Rs.	6358721.00 6358721.00

Detail of closing balance as per various bank a/cs as on 31.03.17:-

Name of bank	Account no.	Closing balance (₹)
SBI SAVING A/C	14089	3628033.36
SBI O/D A/C	24158	-998503.61
SBI FDR'S A/C	35063138528	2500000.00
Total closing balance		5129529.75

i) सावधि जमा निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹3.02 लाख को रोकड़वही में दर्ज न करना:-

निक्षेप कार्य की (Deposit work) रोकड़वही की बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि सावधि जमा निवेश पर निम्न विवरणानुसार प्राप्त ब्याज ₹302394 की प्रविष्टि रोकड़ वही के प्राप्ति पक्ष में नहीं की गई थी जोकि अनियमित है जिसका समाधान अब इस राशि की प्रविष्टि सम्बन्धित रोकड़ वही में करके किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में यह राशि बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो।

**Interest on FDR's credited by bank in o/d a/c but Amt. (₹)
not entered in cash book:-**

Dated 10.08.15 Rs.15311
Dated 10.09.15 Rs.15363
Dated 10.10.15 Rs.15363
Dated 10.11.15 Rs.15363
Dated 10.12.15 Rs.15363
Dated 10.01.16 Rs.15363
Dated 10.02.16 Rs.15363
Dated 10.03.16 Rs.15363
Dated 10.04.16 Rs.15363
Dated 10.05.16 Rs.15363
Dated 10.06.16 Rs.15363
Dated 10.07.16 Rs.15363
Dated 10.08.16 Rs.15363
Dated 10.09.16 Rs.15363
Dated 10.10.16 Rs.15363
Dated 10.11.16 Rs.15363
Dated 10.12.15 Rs.15363
Dated 10.01.17 Rs.15363

Dated 10.02.17 Rs.12956

Dated 10.03.17 Rs.12956

302394

ii) **अधिविकर्ष (Overdraft limit) पर बैंक द्वारा चार्ज किए गए ब्याज ₹1.09 लाख की रोकड़ वही में गणना न करना:-**

निक्षेप कार्य की (Deposit work) रोकड़वही की बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अधिविकर्ष (Overdraft limit) पर बैंक द्वारा निम्न विवरणानुसार ब्याज की कटौती ₹108972 की प्रविष्टि रोकड़ वही के भुगतान पक्ष में नहीं की गई थी जोकि अनियमित है जिसका समाधान अब इस राशि की प्रविष्टि सम्बन्धित रोकड़ वही में की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में यह राशि बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो ।

Interest debited by bank in O/D a/c but not entered in cash book:-

Date	Amt. (₹)
15.07.15	Rs.114
31.07.15	Rs. 204.21
31.08.15	Rs.3379.65
30.06.15	Rs.4381.99
31.10.15	Rs.4452.17
30.11.15	Rs.4231.11
31.12.15	Rs.4288.49
31.01.16	Rs.4206.03
29.02.16	Rs.3859.38
12.03.16	Rs.630 (BC- keeping fee)
31.03.16	Rs.4040.55
30.04.16	Rs.3831.72
31.05.16	Rs.3882.18
30.06.16	Rs.3784.80
31.07.16	Rs.4131.25
31.08.16	Rs.7445.29
30.09.16	Rs.7338.92
31.10.16	Rs.7652.84
30.11.16	Rs.7354.62
31.12.16	Rs.7539.15
31.01.17	Rs.7480.87
28.02.17	Rs.6718.22
12.03.17	Rs.632.50 (keeping fee)
31.03.17	Rs.7391.67
Total	Rs.108971.61

(iii) बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्ष 2011-12 व 2012-13 में जिलाधीश चम्बा से ₹1024000 की अनुदान राशि विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त हुई थी लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी यह राशि खर्च नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि को निक्षेप कार्य के (Deposit work) खाते में यथाशीघ्र जमा करवाकर नियमानुसार खर्च करके सम्बन्धित विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(ग) NULM/SJSRY रोकड़वही :-

वित्तीय वर्ष	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक शेष (₹)	2675139.90	2684694.92
अनुदान राशि (₹)	680000	830574
अन्य प्राप्तियां (₹)	19400	11952
ब्याज (₹)	112852	41251
कुल राशि (₹)	3487391.90	3568471.92
व्यय (₹)	802696.98	423944.69
Urban Development को वापिस की गई राशि (₹)	0	2400467
अंतिम शेष (₹)	2684694.92	744060.23

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹744060.23

दिनांक 31.03.17 को बैंक खाते में शेष : ₹738300.23

(PNB A/C No. 1420000100112787)

अन्तर की राशि : ₹5760

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.17

Particulars	Dr. (₹)	Cr. (₹)
Balance as per Cash Book	744060.23	
Rs 6000 Paid to SBOP on 18/09/09 but not entered in Cash Book		6000
Cheque issued but not presented for payment:	11828	
Cheque No. 252326 Dt. 04/08/2000 Rs. 600		
Cheque No. 253518 Dt. 25/05/2001 Rs. 293		
Cheque No. 253519 Dt. 25/05/2001 Rs. 293		
Cheque No. 253520 Dt. 22/06/2001 Rs. 1930		
Cheque No. 252380 Dt. 12/01/2001 Rs. 300		
Cheque No. 951529 Dt. 01/06/2009 Rs. 129		

Cheque No. 951540 Dt. 01/06/2009	Rs. 285	
Cheque No. 951542 Dt. 01/06/2009	Rs. 69	
Cheque No. 951543 Dt. 01/06/2009	Rs. 96	
Cheque No. 951524 Dt. 01/06/2009	Rs. 363	
Cheque No. 917234 Dt. 5-8-16	Rs. 1338	
Amount paid on Dt. 15/03/2017 but not present for Payment	6132	
	11828	
Amount drawn from bank but not entered in Cash Book:		11468
On Dt. 10/07/2011	Rs. 3200	
On Dt. 21/02/2011	Rs. 8268	
Bank Charges debited By Bank on 09/07/2012 but not entered on cash book		120
Balance as per Pass Book:		738300.23
Total	755888.23	755888.23

(i) निर्धारित समयावधि में ₹5696 के चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत न करने के कारण कालातीत होना

नगर परिषद के NULM/SJSRY खाते की बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार भुगतान हेतु चैक जारी किए गए थे लेकिन अभी तक वर्णित चैकों का बैंक से भुगतान नहीं हुआ है। चूंकि चैक की वैधता निर्गमन से 3 माह तक ही होती है इसलिए वर्णित चैक कालातीत हो चुके हैं। अतः सम्बन्धित बैंक से वर्णित चैकों के भुगतान की पुष्टि करने के पश्चात ₹5696 रोकड़वही के आय पक्ष में वापिस लेना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में यह चैक बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो :-

Cheque issued but not present for payment:	Amt (₹)
Cheque No. 252326 Dt. 04/08/2000	Rs. 600
Cheque No. 253518 Dt. 25/05/2001	Rs. 293
Cheque No. 253519 Dt. 25/05/2001	Rs. 293
Cheque No. 253520 Dt. 22/06/2001	Rs. 1930
Cheque No. 252380 Dt. 12/01/2001	Rs. 300
Cheque No. 951529 Dt. 01/06/2009	Rs. 129
Cheque No. 951540 Dt. 01/06/2009	Rs. 285
Cheque No. 951542 Dt. 01/06/2009	Rs. 69
Cheque No. 951543 Dt. 01/06/2009	Rs. 96
Cheque No. 951524 Dt. 01/06/2009	Rs. 363
Cheque No. 917234 Dt. 05/08/2016	Rs.1338
Total	Rs.5696

(ii) अंकेक्षण में पाया गया कि PNB खाता-12787 से दिनांक 21.02.11 व 10.07.11 को क्रमशः ₹8268 व ₹3200 आहरित किए गए थे लेकिन रोकड़वही में इन राशियों की प्रविष्टि नहीं की गई थी और न ही कोई विल/वाउचर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन राशियों का दुरुपयोग किया गया है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) Pension & Gratuity a/c रोकड़वही :-

वित्तीय वर्ष	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक शेष (₹)	84363.90	47335.92
पेंशन व ग्रेच्युटी Share (₹)	7247781.00	7791009.00
ब्याज (₹)	6985.00	4457.00
कुल राशि (₹)	7339129.90	7842801.92
व्यय (₹)	7291793.98	7812940.93
अंतिम शेष (₹)	47335.92	29860.99

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹29860.99

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹42021.99

(PNB-A/C-119337)

अन्तर की राशि : ₹ (-)12161

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.17

Particulars	Dr.	Cr.
Balance as per Cash Book	29860.99	
Cheques issued but not presented for payment till date:	10000	
Cheque No. 000234 Dt. 11/10 Rs.2000		
Cheque Dt 12/10 Rs. 2000		
Cheque Dt. 01/2011 Rs. 2000		
Cheque No. 917950 Dt.03.06.13 Rs. 2000		
Cheque No. 917973 Dt. 10.12.13Rs. 2000		
Amount deposited into bank on dated 08.09.12 but not entered in Cash Book:	2401	
Bank Charges debited by Bank but not entered in cash book		240
Balance as per Pass Book:		42021.99
Total	42261.99	42261.99

(i) ₹0.10 लाख के चैकों को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत न करना:-

नगर परिषद के पेंशन खाते की बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि वर्ष 2010 से 2013 में निम्न विवरण अनुसार ₹10000 के 5 चैक भुगतान हेतु जारी किए गए थे जोकि अभी तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण वर्णित चैक अब कालातीत हो चुके हैं। अतः सम्बन्धित बैंक से इस भुगतान की पुष्टि करने के पश्चात ₹10000/- रोकड़वही के आय पक्ष में वापिस लेना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में यह चैक बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो:-

Particulars	Amt. (₹)
Cheque No. 000234 Dt. 11/10	Rs.2000
Cheque Dt 12/10	Rs. 2000
Cheque Dt. 01/2011	Rs. 2000
Cheque No. 917950 Dt.03.06.13	Rs. 2000
Cheque No. 917973 Dt. 10.12.13	Rs. 2000
	10000

(ii) ₹2401 बैंक में जमा राशि की गणना रोकड़वही में न करना

नगर परिषद के पेंशन खाते की बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि लग-भग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 8.9.12 को बैंक में जमा की गई ₹2401 की रोकड़वही में गणना नहीं की गई थी और जोकि अनियमित है जिसका समाधान अब वर्णित ₹2401 को रोकड़वही के आय पक्ष में गणना करके किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड.) PMAY a/c रोकड़वही :-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अनुदान राशि(₹)	ब्याज(₹)	कुल राशि(₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष(₹)
2015-16	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	24888790.00	468890.00	25357680.00	11376.00	25346304.00

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹25346304.00

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹25346304.00

(HPSCB-A/C 17910119714)

अन्तर की राशि : ₹NIL

(च) CLC a/c रोकड़वही :-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अनुदान राशि(₹)	ब्याज(₹)	कुल राशि(₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष(₹)
2015-16	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	8390	91	8481	0	8481

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹8481.00

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹8481.00

(HPSCB-A/C-179101198876)

अन्तर की राशि : ₹NIL

(छ) IDSMT a/c रोकड़वही :-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अनुदान राशि(₹)	ब्याज(₹)	कुल राशि(₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष(₹)
2015-16	2803575	0	113100	2916675	0	2916675
2016-17	2916675	0	129426	3046101	0	3046101

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹3046101.00

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹3037227.00

(PNB-A/C-103057184 Rs.1875624.00)

(CBI-A/C-2173081658 Rs.1161603.00

3037227.00

अन्तर की राशि : ₹8874.00

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.17

Particulars	Dr.	Cr.
Balance as per Cash Book	3046101	
Amount drawn from bank (a/c-57184) on dt.11.12.10 but not entered in cash book.		8000
Amount drawn from bank (a/c-57184) on dt.21.12.10 but not entered in cash book.		55
Amount drawn from bank (a/c-81658) on dt.15.10.10 but not entered in cash book.		819
Balance as per pass book		3037227
Total	3046101.00	3046101.00

(i) अंकेक्षण में पाया गया कि PNB खाता-57184 से दिनांक 11.12.10 व 21.12.10 को क्रमशः ₹8000 व ₹55 तथा CBI खाता स.81658 से दिनांक 15.10.10 को ₹819 आहरित किए गए थे लेकिन रोकड़ वही में इन राशियों की प्रविष्टि नहीं की गई थी और न ही कोई विल/वाउचर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा संशय होता है कि इन राशियों का दुरुपयोग किया गया है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ज) NRY/HUDCO a/c रोकड़वही :-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अनुदान राशि(₹)	ब्याज(₹)	कुल राशि(₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष(₹)
2015-16	204170.50	0	7940.00	212110.50	30000.00	182110.50
2016-17	182110.50	0	7357.00	189467.50	0	189467.50

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹189467.50

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹189467.50

(HPSCB-A/C-17910104913 Rs. 67192.50)

(HPSCB-A/C-17910102268 Rs.122275.00)

Total Rs. 189467.50

अन्तर की राशि : ₹ 0.00

(झ) Solid Waste Management रोकड़वही :-

दिनांक 31.03.09 के उपरान्त Solid Waste Management की रोकड़वही का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिस बारे में अंकेक्षण पर प्रतिवेदन अवधि 01.04.2013 से 31.03.2015 तक के पैरा संख्या-4.6 में भी आपत्ति दर्ज की गई थी किन्तु इसके बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाही न करना गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि वर्णित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाने के कारण आय व व्यय की सत्यता सम्भव न हो सकी। इसके अतिरिक्त पास बुक के अनुसार दिनांक 31.03.17 को HPSCB-खाता स.99011300101087 में ₹5126/- जमा शेष थे तथा अंकेक्षण में यह पाया गया कि यह खाता कई वर्षों से निष्क्रिय है। अतः इस खाते में शेष राशि को मुख्य खाते में हस्तांतरित किया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ज) उपदान

अंकेक्षण में पाया गया कि सा0भ0नि0, अंशदाई भविष्य निधि एवं उपदान खातों (GPF, CPF व Gratuity इत्यादि) के लेन-देन के लिए रोकड़वही का रख-रखाव नहीं किया

गया था जिसके परिणामस्वरूप इन खातों के आय-व्यय की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः सम्बन्धित रोकड़ वही का रख-रखाव न करना एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अविलम्ब रोकड़वही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक 31.3.17 को परिशिष्ट "ख" के अनुसार उक्त निधियों में निवेशित राशि निम्न प्रकार से थी:-

(I) सामान्य भविष्य निधि :-

(i) SBI saving a/c-11149813891 balance as on 31.03.17	Rs.745551.75
(ii) SBI FDR's a/c-3504381610 balance as on 31.03.17	Rs. 1500000/-
(iii) CBI FDR's a/c-3456518783 balance as on 31.03.17	Rs. 1710308/-
(iv) CBI FDR's a/c-3456518896 balance as on 31.03.17	Rs. 1710308/-

(II) अंशदान भविष्य निधि:-

(i) SBI saving a/c-31359683589 balance as on 31.03.17	Rs. 1713764/-
(ii) SBI FDR's a/c-34969011362 balance as on 31.03.17	Rs. 2500000/-

(III) ग्रेच्युटी:-

SBI saving a/c-31782536868 balance as on 31.03.17	Rs. 131878/-
---	--------------

(ट) आय-व्यय:-

नगर परिषद चम्बा के तीन वर्षों (अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 तक) के कुल आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आय (₹)	व्यय (₹)
2014-15	70811809	64031508
2015-16	65849943	75742270
2016-17	112407114	73927108

5 निवेश:-

(क) परिशिष्ट – “ ग” के अनुसार दिनांक 31.03.17 को सावधि जमा निवेश में निवेशित राशि की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

क्र.स.	एफ.डी.आर. न. व बैंक का नाम	दिनांक	निवेशित राशि (₹)	दर	अवधि (वर्ष)	परिपक्वता दिनांक	निधि
1	HPSCB-17930307227	07.01.17	40000000	6.90 %	1 year	07.01.18	MC निधि
2	SBI-3494892518	23.05.16	16112833	6.75 %	1 year	23.05.17	MC-BRGF
3	SBI-35063138528	10.01.17	2500000	6.95	1.6 year	10.01.18	Deposit work
4	CBI-3456518783	16.11.16	1710308	7%	6 m	16.05.17	GPF
5	CBI-3456518896	16.11.16	1710308	7%	6 m	16.05.17	GPF
6	SBI-3504381610	03.07.15	1500000		03.07.15 to	31.03.17	GPF

					31.03.17		
7	SBI-34969011362	02.06.15	2500000	6.90	02.06.15 to 31.03.17	31.03.17	CPF

(ख) सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर ₹0.73 लाख ब्याज से आय ब्याज के रूप में हुई वित्तीय हानि बारे :-

अंकेक्षण में पाया गया कि सावधि जमा योजना खाता संख्या -SBI-3494892518 (MC-BRGF) के अंतर्गत SBI -बैंक में निवेशित राशि पर अवधि 23.05.17 से 15.06.17 तक के लिए ₹73005 अर्जित ब्याज बैंक द्वारा नहीं दिया गया था जबकि इस अवधि में निवेशित राशि सम्बंधित बैंक में ही जमा थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Detail of FDR's in r/o MC-Chamba (MC –BRGF fund)

A/c no	Date of Investment	Amount Invested	Rate of Interest	Period	Date of maturity	Maturity value	Loss of Interest
SBI-3494892518	23.05.16	16112833	6.75 %	1 year	23.05.17	17228290 (Actually matured on 15.06.17)	No interest has been given for 23 days period i.e. 23.5.17 to 15.6.17 resulting into loss of Rs. ₹73005 as interest.

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या. FIN(LA)/C/K DC/2018- 18 दिनांक 05.02.18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद- चम्बा के ध्यान में लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए व कम दिए गए ब्याज ₹73005 की वसूली की जानी सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर सहमत ब्याज दर की अपेक्षा कम दर से, ब्याज देने के परिणामस्वरूप ₹0.98 लाख की वित्तीय हानि

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद –चम्बा व प्रबंधक, SBI के बीच हुए पत्रचार के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि FDR's SBI a/c-35063138528 में निवेशित ₹2500000 पर बैंक 8.25% की दर से ब्याज देगा लेकिन बैंक द्वारा केवल 6.95% की दर से उक्त निवेशित राशि पर ब्याज की अदायगी की गई थी तथा देय राशि को मासिक आधार पर SBI O/D A/C- 35062924158

में क्रेडिट किया गया था I इस प्रकार अवधि 10.07.15 से 10.07.18 के लिए सहमत दर से 1.30% की दर से कम ब्याज दिया गया जोकि लगभग ₹97500 बनती है । इस अनियमितता को अंकेक्षण अध्याचना संख्या. FIN(LA)C/K DC/2018- 18 दिनांक 0 5.02.18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद- चम्बा के ध्यान में लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए व कम दिए गए ब्याज ₹97500 की वसूली की जानी सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए I

(घ) सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज पर बैंक द्वारा स्रोतों पर कर कटौती (TDS) करने के परिणामस्वरूप ₹3.20 लाख ब्याज से आय की वित्तीय हानि

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज पर बैंक द्वारा स्रोतों पर कर कटौती (TDS) की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद को ब्याज के रूप में ₹319966 की वित्तीय हानि हुई जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है:-

(i) Detail of FDR's in r/o MC-Chamba (MC –BRGF fund)

A/c no	Date of Investment	Amount Invested (₹)	Rate of Interest	Period	Date of maturity	Maturity value (₹)	Interest earned (₹)	TDS (₹)	Loss of Interest(₹)
SBI-3494892518	23.05.15	15000000	8%	1year	23.05.16	16236482	1112833	123649	123649
	23.05.16	16112833	6.75 %	1 year	23.05.17	17228290 (Actually matured on 15.06.17)	1003912	111546	Rs.111546

(ii) Detail of FDR's in r/o MC-Chamba (Deposit work fund)

A/c no	Date of Investment	Amount Invested	Rate of Interest	Period	Date of maturity	Maturity value	Interest earned	TDS	Loss of interest
SBI-35063138528	10.07.15	2500000	6.95	1.6 year	10.01.17	2500000	148683 (2015-16)	14876 (2015-16)	14876
	10.01.17	2500000	6.95	1.6 year	10.07.18	2500000	197664 (2016-17)	19770(2016-17)	19770

(iii) Detail of GPF's FDR SBI-A/C-3504381610 Rs.1500000/-@6.75% in r/o MC-Chamba

Date of Investment	Amount Invested	Interest Earned	TDS	Remarks
03.07.15	1500000	190342	18237	कृपया परिशिष्ट “ ग “ देखें

(iv) Detail of CPF's FDR SBI-A/C-34969011362 Rs.2500000/- @6.90% in r/o MC-Chamba

Date of Investment	Amount Invested	Interest Earned	TDS	Remarks
02.06.15	2500000	332207	31888	कृपया परिशिष्ट “ग” देखें।
	Total (i) to (iv)		319966	

इस अनियमितता को अंकेक्षण अध्याचना संख्या. FIN(LA)/C/K DC/2018- 18 दिनांक 05.02.18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद- चम्बा के ध्यान में लाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। चूंकि स्थानीय निकायों की आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अन्तर्गत Excmpt है इसलिए इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक में उठाया जाए व नियमानुसार स्रोतों पर कर कटौती (TDS) ₹319966 की वसूली करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ड.) सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर देय ब्याज दर की अपेक्षा कम दर से, ब्याज देने के परिणामस्वरूप ₹0.61 लाख की वित्तीय हानि

GPF खाते से FDR's CBI a/c-2173053336 दिनांक 31.03.15 ₹1504482 व FDR CBI a/c-2173053347 के अंतर्गत ₹1504482 सावधि जमा योजना में निवेशित थी। अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त FDR's की परिपक्वता तिथि 24.09.14 थी लेकिन वास्तव में उक्त FDR's दिनांक 16.05.15 को परिपक्व हुई थी। इस प्रकार अवधि 24.09.14 से 16.05.15 तक के लिए बैंक द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि की दर से ब्याज न देकर बचत खाते की ब्याज दर @3.50% से ब्याज दिया गया था जबकि बैंक द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर लग-भग 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। इस प्रकार उक्त अवधि के लिए बैंक द्वारा सावधि जमा योजना में निम्नविवरण अनुसार निवेशित राशि पर देय दर से कम ब्याज दर पर ब्याज देने के परिणामस्वरूप ₹60986 की ब्याज के रूप में आय की वित्तीय हानि हुई है:-

A/C no.	Date of investment	Amount invested (₹)	rate	Maturity date	Maturity value (₹)	Remarks
CBI-2173053347	24.09.13	1369615		24.09.14	1493454	Re-invested
	24.09.14	1493454	3.50	16.05.15	1531853	Intt. given at saving rate @ 3.50 instead of @7% on FDR approx. Hence financial loss comes to Rs.30493/-
CBI-217305336	24.09.13	1369615		24.09.14	1493454	Re-invested
	24.09.14	1493454	3.50	16.05.15	1531853	Intt. given at saving rate @ 3.50 instead of @7% on FDR approx. Hence financial loss comes to Rs.30493/-

अतः इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए व कम दिए गए ब्याज ₹60986 की वसूली की जानी सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

अधिविकर्ष (Overdraft limits) :-

6 नगर परिषद द्वारा विभिन्न बैंकों में अधिविकर्ष (Overdraft limits) ऋण लेने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹14.49 लाख की वित्तीय हानि

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद चम्बा द्वारा अंकेक्षण अवधि 01/04/15 से 31/03/17 के दौरान विभिन्न अधिविकर्ष (Overdraft limits) खाते खुलवाए गए थे जिन पर अवधि 03.07.15 से 31.03.17 तक खर्च की गई Overdraft limits पर बैंक द्वारा ब्याज वसूल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद को निम्न विवरण अनुसार ब्याज के रूप में ₹1448808 की वित्तीय हानि हुई है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट “घ “ में दिया गया है:-

Sr.no.	Name of Funds	Period	Loss of Interest (₹)
1	GPF A/C	03.07.15 TO 31.03.17	68314.59
2	CPF A/C	03.07.15 to 31.03.17	89954.72
3	BRGF A/C	03.07.15 to 31.03.17	1145728.00
4	MC Fund a/c	08.01.16 to 31.08.16	35839.00
5	Deposit work a/c	10.07.15 to 31.03.17	108971.61
	Total Rs.....		1448807.92

अंकेक्षण में पाया गया कि अधिविकर्ष (Overdraft limits) खाते खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जिस तिथि (03.07.15) को यह खाते खोले गए थे उस तिथि से लेकर दिनांक 31.03.17 तक नगर परिषद के विभिन्न बचत खातों में पर्याप्त निधि/राशियाँ जमा थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या. FIN(LA)C/K DC/2018- 19 दिनांक 05.02.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद- चम्बा से अनुरोध किया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार वित्तीय कुप्रबन्धन में नगर परिषद को ब्याज अदायगी के रूप में ₹1448808 की हुई वित्तीय हानि बारे या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि अनावश्यक अधिविकर्ष (Overdraft limits) खातों को अविलम्ब बंद करवाया जाए ताकि भविष्य में ब्याज के रूप में होने वाली हानि से बचा जा सके। विभिन्न अधिविकर्ष (Overdraft limits) खातों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

S.no.	Name of funds	A/c no.	O/D limit (₹)	Date of O/D limit	Rate of intt	O/D limit against FDR'S(₹)	Rate of intt.	Amt. Spent from O/D limit upto 31.03.17(₹)
1	GPF A/C	SBI-35043365087	1200000	03.07.15	6.75%	1500000	8.50%	666399.59
2	CPF A/C	SBI-35043359562	2000000	03.07.15	8.5%	2500000	6.90%	1082159.72
3	BRGF A/C	SBI-35043348981	14000000	03.07.15	7.75%	15000000	6.75%	12764843.97
4	MC Fund a/c	HPSCB-179506600065	34000000	08.01.16	9.50%	40000000	6.90%	12090.00
5	Deposit work a/c	SBI-35062024158	2000000	10.07.15	8.75%	2500000	6.95%	998503.61

7 अनुदान:-

नगर परिषद चम्बा की अंकेक्षणाधीन अवधि 01/04/15 से 31/03/17 तक प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तर्शेष राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट “ड.” में दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अनुदान राशि(₹)	कुल राशि(₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष(₹)
2015-16	57166921	39593930	96760851	52205513	44555338
2016-17	44555338	82128839	126684177	46586227.50	80097949.50

परिशिष्ट के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(क) दिनांक 31.03.17 को अनुदान ₹800.98 लाख व्यय हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान अनुदानों व उनसे व्यय की गई राशि की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि में से दिनांक 31.03.17 को ₹80097950 अनुपयुक्त पड़ी थी जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः वर्णित अनुपयोग इन अनुदान राशियों को समयवध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्य जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई थी, व्यय किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित विभाग को किया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण में पाया गया कि मुख्य रोकड़वही (MC fund) खाते में NULM निधि की सहायता अनुदान राशि का प्रारम्भिक शेष दिनांक 01.04.15 को राशि शून्य था तथा वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹1044000/- व ₹450000 अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी जबकि क्रमशः ₹525407 व ₹1004172 इस निधि से व्यय व हस्तान्तरित की गई थी। इस प्रकार मुख्य रोकड़वही (MC fund) से ₹35579 अधिक खर्च कर दी गई, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट “ड.”** में दिया गया है। अतः अधिक खर्च की गई ₹35579 की प्रतिपूर्ति अब NULM निधि खाते से वापिस मुख्य रोकड़वही (MC fund) खाते को राशि हस्तांतरण/ जमा करवाकर की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 (क) गृह कर की बकाया ₹167.32 लाख की वसूली न करना :-

नगर परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है लेकिन नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.17 तक **परिशिष्ट “च”** के अनुसार ₹16732207 गृहकर के रूप में वसूली की जानी शेष थी, जो कि एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या

यू0एल0बी0 एच0ए0 (7)-1/87-9237/9284 दिनांक 26.6.2001 द्वारा कार्यकारी अधिकारियों को करें इत्यादि की शर्त प्रतिशत वसूली हेतु आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद भी गृहकर की ₹16732207 वसूली हेतु शेष रहना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः गृहकर की बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु उचित पग उठाये जाने सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप ₹24.05 लाख की वित्तीय हानि:-

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद चम्बा क्षेत्र में कुल 30 होटल, पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत हैं इन होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को प्रतिवर्ष ₹1202352 की वित्तीय हानि हो रही है। अतः नगर परिषद के होटलों के गृहकर निर्धारण सम्बन्धी गणना पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित होटलों की किराए की दरों पर 45 दिन की Occupancy के आधार पर करने पर पाया गया कि अवधि 1.04.2015 से 31.03.2017 तक ₹2404704 (1202352 x 2) की गृहकर की कम वसूली करने के कारण वित्तीय हानि हुई थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट “छ”** पर दिया गया है। अतः समस्त होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार होटलों के संचालन की अवधि से न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया अन्यथा उक्त राशि एवं समस्त बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 (क) दिनांक 31.03.17 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹44.51 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि का निर्माण किया गया है जिन्हें किराये/पट्टे पर चढ़ाया गया है तथा इनका किराया परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट “ज”** पर दिया गया है, के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक किराए के रूप में ₹4450894 वसूली हेतु शेष थी। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0बी0 एच0ए0(7) -1/87-9237/9284 दिनांक 20.06.01 के द्वारा करें इत्यादि की शर्त प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे जो कि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि बकाया राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ विशेषकर **परिशिष्ट “छ”** में वर्णित 50

दुकानदारों से जिनसे वसूली योग्य कुल राशि में से ₹3679008 वसूलना शेष है तथा तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 दिनांक 31.03.17 को विभिन्न मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹1.10 लाख वसूली हेतु शेष

मोबाइल टावरों से सम्बन्धित रख-रखाव किए गए रजिस्टर परिशिष्ट "झ" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया कि दिनांक 31.03.17 को विभिन्न मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹109910 वसूली हेतु शेष थे:-

<u>विवरण</u>	<u>राशि (₹)</u>
बी.एस.एन.एल.टॉवर.	57410
Tikona Digital	5000
Reliance Jio-Sultanpur	5000
रिलायंस Jio-Hardaspur	10000
AIRCEL	32500
वोडफोन	0
कुल राशि	109910.00

अतः उक्त बकाया ₹109910 को वसूल करने हेतु उचित पग उठाते हुए राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 पार्किंग स्थल की नीलामी की बकाया ₹4.27 लाख की वसूली न करना

(i) राजीव गाँधी परिसर:-

इस पार्किंग स्थल की नीलामी वर्ष 2014-15 में ₹138863 में की गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2015-16 व 2016-17 के लिए प्रतिवर्ष ठेके की राशि में 15% की वृद्धि करके ठेके पर दिया गया था व दिनांक 31.03.17 को ₹ 427043 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)
2015-16	364613	159692	524305	208765	315540
2016-17	315540	183646	499186	72143	427043

अंकेक्षण में पाया गया कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा परिषद द्वारा भी वसूली हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। अतः यथाशीघ्र बकाया राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) पार्किंग स्थल चौगान न.-3

इस पार्किंग स्थल की नीलामी वर्ष 2014-15 में ₹727210 में की गई थी एवं इसके पश्चात पट्टे की राशि में 10% वृद्धि करके दिनांक 31.03.16 बढ़ाया गया था लेकिन जाँच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा पट्टा राशि का नियमित भुगतान नहीं किया गया था। अतः दिनांक 31.03.17 तक वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से है जिसकी यथाशीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)	ठेकेदार का नाम
2015-16	728310	799931	1528241	702000	826241	मै. कुकरेजा & कम्पनी
2016-17	826241	1350555	2176796	2176467	329	श्री समीर शेख

(iii) मिनी सचिवालय परिसर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.17 तक इस पार्किंग स्थल की नीलामी नहीं की गई थी और न ही परिषद् द्वारा इस परिसर की कोई पार्किंग फीस ही वसूल की जा रही थी और गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या-10.4(III) के अनुसार वर्ष 2011-12 की बकाया ₹32000 भी वसूली हेतु शेष थी। अतः उक्त पार्किंग स्थल को अवधि 1.04.2012 से 31.3.2017 तक ठेके पर न देने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वर्णित पार्किंग स्थल का नियमानुसार उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर परिषद् के अपने स्रोतों से आय में वृद्धि के साथ-2 वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

12 रेहन वसरे के किराए की ₹1.68 लाख की राशि ठेकेदार से वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण में पाया गया कि रेहन वसरे की नीलामी करके ठेके पर दिया गया था व दिनांक 31.03.17 को

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)	ठेकेदार का नाम
2015-16	70544	87450	157994	0	157994	श्री रविन्द्र सिंह
2016-17	0	185000	185000	175000	10000	श्री शिव कुमार
कुल बकाया राशि					167994	

अतः सम्बन्धित ठेकेदार से उक्त बकाया राशि की वसूली तुरन्त करने हेतु उचित उठाए जाने सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

13 विश्राम गृह के किराए की ₹8.95 लाख की राशि ठेकेदार से वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण में पाया गया कि विश्राम गृह की नीलामी करके ठेके पर दिया गया था व दिनांक 31.03.17 को निम्न विवरणानुसार ₹894919 वसूली हेतु शेष थे:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)	ठेकेदार का नाम
2015-16	698842	306077	1004919	110000	894919	मै. D.K.&Co.(Rs.50000 received in 2014-15 which was adjusted in 2015-16.
2016-17	0	105555	105555	105555	0	श्री समीर शेख
कुल बकाया राशि					894919	

चूंकि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से नीलामी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था जबकि उसका ठेका दिनांक 31.03.16 को ही समाप्त हो गया था इसलिए यथाशीघ्र बकाया ₹894919 की वसूली हेतु नियमानुसार उचित पग उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए I

14 (i) जंजघर के पट्टे की बकाया ₹39.47 लाख ठेकेदार से वसूली हेतु शेष

नगर परिषद का जन्जघर अवधि 01.11.06 से 31.10.07 तक के लिए मैसर्स डी.के.एण्ड क. को पट्टा ₹325000 प्रतिवर्ष की दर से नीलाम किया गया था तथा परिषद के प्रस्ताव संख्या 51 दिनांक 10.11.06 के अंतर्गत पट्टा राशि में 5% वार्षिक वृद्धि करके 5 वर्ष के लिए विस्तार कर दिया गया I अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त ठेकेदार द्वारा नगर परिषद् को पट्टे की राशि का भुगतान नहीं किया गया था और न ही इसके लेखे जोखे के लिए परिषद द्वारा कोई अभिलेख ही तैयार किया गया है जोकि अनियमित है I यह अनियमितता गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2015 के पैरा स. 10.1(i) में भी दर्ज की गई थी इसके बावजूद भी आज तक परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा परिषद की लचर कार्य शैली को दर्शाता है क्योंकि उक्त भवन/पट्टे की राशि का लेखा जोखा न रखने के कारण पट्टे/किराये से प्राप्त राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता I अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 21.07.16 को जंजघर को खाली करवाने हेतु सम्बन्धित

ठेकेदार को u/s 239 HP MC Act-1994 के अंतर्गत 6 घंटे का नोटिस दिया गया व उसी दिन परिषद द्वारा जंजघर को अपने कब्जे में ले लिया गया था। अतः दिनांक 31.03.17 को ठेकेदार से निम्नविवरणानुसार ₹3946868 वसूली हेतु शेष थे जिसको सम्बन्धित ठेकेदार से शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार उचित पग उठाए जाने सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

अवधि	पट्टे की राशि
01.11.06 to 31.10.07	325000
01.11.07 to 31.10.08	341250
01.11.08 to 31.10.09	358313
01.11.09 to 31.10.10	376229
01.11.10 to 31.10.11	395040
01.11.11 to 31.10.12	414792
01.11.12 to 31.10.13	435532
01.11.13 to 31.10.14	457309
01.11.14 to 31.10.15	480174
01.11.15 to 20.07.16 (8 महीने 20 दिन) (504183X 8M 20Days)	363229
Total Rs....	3946868

(ii) दण्ड शुल्क के रूप में ₹ 34.46 लाख की वसूली न करना

अनुबन्ध की शर्त संख्या-4 के अनुसार पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि किराये, भवन को खाली नहीं करता है तो ₹2000 प्रतिदिन की दर से दण्ड शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि अनुबन्ध की अवधि दिनांक 31.10.11 को समाप्त होने के पश्चात भी पट्टेदार ने भवन को खाली नहीं किया था तथा अनुबन्ध की शर्त संख्या -4 के अनुसार दिनांक 01.11.11 से 20.07.16 तक कुल 1723 दिनों का ₹2000 प्रतिदिन की दर से ₹3446000 का दण्ड शुल्क वसूला जाना अपेक्षित था।

अतः अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दण्ड शुल्क की वसूली न करके पट्टेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे स्थिति नियमानुसार स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹3446000 सम्बन्धित ठेकेदार से यथाशीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) जंजघर को किराये पर न देने के परिणामस्वरूप ₹3.75 लाख की वित्तीय हानि

अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 22.07.16 से 31.03.17 तक जंजघर को किराये पर नहीं दिया गया था जबकि इस अवधि से पूर्व जंजघर को लग-भग राशि ₹5 लाख वार्षिक दर से पट्टे/किराये पर दिया गया था। अतः लग-भग 9 महीने की अवधि के लिए जंजघर खाली रहा जिसके परिणामस्वरूप लग-भग ₹375000 की वित्तीय हानि नगर परिषद को हुई है।

अतः यह प्रकरण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् के ध्यान में उचित कार्यवाही अम्ल में लाने हेतु लाया जाता है ताकि भविष्य में नगर परिषद् को अपने स्रोतों से होने वाली आय में वृद्धि हो तथा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

उपरोक्त बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या - 19(A) दिनांक 05.02.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

15 तहबाजारी शुल्क ₹1.43 लाख की कम वसूली करना

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के पैरा संख्या 10 (5) द्वारा ध्यान में लाया गया था कि तहबाजारी का माँग व वसूली रजिस्टर जो तैयार नहीं था को तैयार किया जाए लेकिन इसके बावजूद भी आज तक तहबाजारी का उक्त रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि इस अनियमितता के कारण से वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में निम्न विवरणानुसार ₹142556 की कम वसूली की गई थी:-

Year	Total Teh Bazari Holder	Months	Rate P.M. (₹)	Teh Bazari to be collected (₹)	Actual Receipt (₹)	Less collection (₹)	Ledger Page	Remarks
2015-16	95	12	150	171000	165200	5800	53	
2015-16	अन्य			26400	26400	0	53	करवा चौथ मेला
2016-17	95	2	150	28500	195744	136756	56	
2016-17	95	4	500	190000				Rate revised i.e. Rs.150/-pm to Rs.500/- pm as per resolution no.45(1) dt.20.05.16
2016-17	95	6	200	114000				Rate revised i.e. Rs.500/-pm to Rs.200/- pm as per resolution no.88(1) dt.24-09.16
2016-17	अन्य			22000	22000	0	56	करवा चौथ मेला
कुल कम वसूल की गई राशि						142556		

अतः उक्त अवधि में ₹142556 की कम वसूली की गई राशि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि के साथ-2 वर्ष 2011-12 की बकाया ₹32000 एवं वर्ष 2012-13 की बकाया ₹41300 तथा 2013-14 व 2014-15 की

बकाया ₹54050 की भी शीघ्र वसूली करके नगर परिषद के खाते में जमा करवाने तथा तहबाजारी का माँग व वसूली के रजिस्टर को भी शीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16 वाहन पार्किंग, रेहन वसेरा व विश्राम गृह से प्राप्त किराए पर ₹5.15 लाख के सेवाकर का सम्बन्धित विभाग को भुगतान न करना

नगर परिषद द्वारा वाहन पार्किंगों, रेहन वसेरा व विश्राम गृह को विभिन्न संविदाकारों को ठेके पर दिया गया था, तथा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 29/2012 दिनांक 20.06.12 व सेवाकर अधिनियम के अनुसार वाहन पार्किंग, रेहन वसेरा व विश्राम गृह के किराये से प्राप्त आय पर दिनांक 01.07.12 से सेवाकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जोकि अवधि 2015-16 से 2016-17 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹515495 देय था जिसका केन्द्रीय आबाकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान नहीं किया गया था:-

माह/वर्ष	सम्पत्ति का विवरण	जिस तिथि को राशि प्राप्त हुई	किराये से प्राप्त राशि (₹)	सेवाकर दर %	सेवाकर की भुगतान योग्य राशि (₹)
2015-16	पार्किंग स्थल चौगान न.-3	12.06.15 व 04.08.15	702000	14.00	98280
2016-17	पार्किंग स्थल चौगान न.-3	02.04.16 व 08.04.16	1505912	14.50	218357
2016-17	पार्किंग स्थल चौगान न.-3	20.10.16	670555	15.00	100583
2015-16	राजीव गाँधी परिसर	26.02.16 व 14.03.16	208765	14.50	30271
2016-17	राजीव गाँधी परिसर	13.02.17	72143	15.00	10821
2015-16	रेहन वसेरा		0	0	0
2016-17	रेहन वसेरा	04.05.16	60000	14.50	8700
2016-17	रेहन वसेरा	06.07.16 व 19.10.16	115000	15.00	17250
2015-16	विश्राम गृह	17.10.15	110000	14.00	15400
2016-17	विश्राम गृह	09.06.16	105555	15.00	15833
कुल राशि					515495

अतः सेवाकर अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का भुगतान न करने बारे या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सेवाकर की ₹515495 की वसूली उचित स्रोत से करके केन्द्रीय आबाकारी एवं कराधान विभाग को

भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सेवाकर को समय पर जमा न करने के कारण देय किसी भी प्रकार के दण्ड (Penalty) से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न संविदाकारों से किए गए अनुबंध में सेवा कर लगाने की शर्त को अलग से शामिल नहीं किया गया था। अतः भविष्य में नगर परिषद द्वारा वाहन पार्किंग, रेहन वसेरा व विश्राम गृह से सम्बन्धित विभिन्न संविदाकारों से किए गए अनुबंध में सेवा कर की शर्त को अलग से शामिल किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद से बचा जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Main Cash Book (MC Fund):-

17 (क) गौ सदन के लिए तूड़ी की खरीद पर ₹0.26 लाख का संदिग्ध भुगतान

(Vr.no.230/80/34,dated 07.10.2015 Rs.25600/-)

श्री प्रीतम सिंह सपुत्र श्री करतार सिंह, निवासी बकश्वा, डा.घर.पखारिवा, जिला गुरदासपुर (पंजाब) को मात्रा 32 किंवटल तूड़ी ₹850 प्रति किंवटल की दर से ₹27200 का भुगतान किया गया था जिसका अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(i) उक्त आपूर्तिकर्ता (श्री प्रीतम सिंह) द्वारा तूड़ी की 32 किंवटल की आपूर्ति से संबन्धित विल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में ₹25600 के भुगतान की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी।

(ii) अंकेक्षण में प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के साथ तूड़ी के भार से सम्बन्धित कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में खरीदी गई तूड़ी का भार 32 किंवटल ही था।

(iii) उक्त विल/वाउचर के अंतर्गत खरीदी गई तूड़ी व उपभोग की मात्रा से सम्बन्धित प्रविष्टि गौ सदन रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके अभाव में यह सत्यापना सम्भव न हो सकी कि वास्तव में तूड़ी की कितनी मात्रा उपभोग की गई थी व कितनी मात्रा शेष थी।

इसके अतिरिक्त तूड़ी की खरीद की कुल ₹27200 (32 किंवटल x 850/-) बनती थी जबकि वास्तव में ₹25600 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया। अतः उक्त औपचारिकताओं को पूरा किए बिना ₹25600/- का भुगतान करने तथा तूड़ी की खरीद हेतु किए गए भुगतान में पाई गई अंतर की राशि का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट की जाए अन्यथा इस प्रकरण में नियमानुसार उचित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) नगर परिषद चम्बा, बगौत में एक गौ सदन का संचालन किया जा रहा है जिसमें लग-भग 20 पशुओं को रखा गया है। किन्तु पशुओं के आहार से सम्बन्धित रख रखाव किए गए भण्डार रजिस्टर का अंकेक्षण पर पाया गया कि पशुओं द्वारा प्रतिदिन कितना चारा व अन्य आहार उपयोग किया जाता है, का कोई भी उल्लेख नहीं था जिससे पशु आहार की खरीद पर किए गए खर्चों को सत्यापित नहीं किया जा सका। नगर परिषद चम्बा द्वारा गौ सदन-बगौत में पशुओं के आहार की खरीद का विवरण भण्डार रजिस्टर में माह 03/2016 से इन्द्राज करना शुरू किया गया है तथा भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार तूड़ी की खरीद पर वर्ष 2016-17 में ₹172400 खर्च की गई है:-

Sr.No.	Bill no./Date	Quantity of Turi purchased(in Qtl.)	Amount (₹)	Supplier Name
1	31.03.16	40	27800	M/s. Sham Singh, Sultanpur, Chamba
2	03.05.16	40	27800	M/s. Sham Singh, Sultanpur, Chamba
3	05.07.16	40	27800	M/s. Sham Singh, Sultanpur
4	05.09.16	40	27800	M/s. Sham Singh, Sultanpur, Chamba
5	03.11.16	40	27800	M/s. Sham Singh, Sultanpur, Chamba
6	24.12.16	2 Pickup Quantity not mentioned	3000	M/s. Sham Singh, Sultanpur, Chamba
7	01.03.17	40	30400	M/s. Sham Singh, Sultanpur, Chamba
Total Rs.			172400	

अतः यह परामर्श दिया जाता है कि पशुओं के आहार पर प्रयोग की गई सारी सामग्री (जैसे:- कि तूड़ी इत्यादि) की खपत का प्रतिदिन ब्यौरा तैयार किया जाए तथा प्रति पशु प्रति दिन कितने आहार की आवश्यकता है इसका सत्यापन पशु चिकित्सा अधिकारी से करवाया जाए और इस बारे प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अभिलेख अगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया।

- 18 **संविदाकारों द्वारा देय E.P.F. Contribution ₹6.72 लाख का MC निधि खाते से अनियमित भुगतान**
(Voucher no.350-20-01, dated 18.03.17 Rs.92704/-& Voucher no.210-40-03, dated 18.03.17 Rs.154177/-)

अंकेक्षण में पाया गया कि MC निधि खाते से ₹246881 का भुगतान श्री हितेश कुमार एण्ड एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से श्री अविनाश चन्द्र, ठेकेदार द्वारा नगर परिषद चम्बा क्षेत्र में ठेके पर रखे गए मजदूरों के E.P.F. subscription & Contribution के रूप में सम्बन्धित बैंक में जमा करके किया गया है जिसे हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद-चम्बा के पत्र संख्या -2019/MCC Chamba, दिनांक 18.03.2017 के अंतर्गत HDFC-Chamba को निर्देश दिए गए थे कि MC खाता संख्या 50100065459872 से श्री हितेश कुमार एण्ड एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट के खाता स.SBI 33023920165 चम्बा में ₹246881/- हस्तांतरित कर दी जाए ताकि श्री अविनाश चन्द्र, ठेकेदार, मोहल्ला धरोग, चम्बा के द्वारा नगर परिषद चम्बा के Zone no.1 से zone no.3 में सफाई हेतु लगाई गई लेबर का अवधि जून, 2016 से फरवरी, 2017 तक का EPF subscription व contribution जमा करवाया जा सके। उक्त जमा करवाई गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

S.no.	Period	EPF Subscription	vr.no.& date	EPF Contribution	vr.no.& date	EPF subscription	EPF Contribution
1	June,16	0		210/40/03/18.03.17		0	3955
2	July,16	0		210/40/03/18.03.17		0	4804
3	August,16	350/20/01/18.03.17		210/40/03/18.03.17		11198	21264
4	Sep.,16	350/20/01/18.03.17		210/40/03/18.03.17		11884	20578
5	Oct.	350/20/01/18.03.17		210/40/03/18.03.17		11198	21264
6	Nov.,16	350/20/01/18.03.17		210/40/03/18.03.17		11884	20578
7	Dec.,16	350/20/01/18.03.17		210/40/03/18.03.17		11198	21264
8	Jan.,17	350/20/01/18.03.17		210/40/03/18.03.17		18568	21264
9	Feb,17	350/20/01/18.03.17		210/40/03/18.03.17		16774	19206
	Total Rs....					92704	154177

चयनित माह 3/17 के व्यय का विस्तृत अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों से सफाई व अन्य कार्य हेतु लगाई गई लेबर का EPF subscription शेयर काटा जा रहा है लेकिन EPF Contribution की राशि नहीं काटी जा रही है तथा जिसका भुगतान नगर परिषद चम्बा के MC निधि खाते से किया जा रहा है जोकि अनियमित है क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र में सफाई का कार्य ठेके पर दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में ठेकेदारों से किए गए अनुबन्ध पत्रों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की शर्त संख्या-17 में स्पष्ट प्रावधानानुसार (Eligible contractor shall be liable to deposit EPF dues as per the

provision of EPF Miscellaneous Act-1952) यथानुसार EPF subscription व EPF Contribution का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर किया जाना अपेक्षित था या फिर जो राशि प्रतिमाह ठेकेदार को देना निर्धारित हुई है, उस राशि में से EPF subscription शेयर व EPF Contribution शेयर को काटकर नगर परिषद द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था। नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को भुगतान करने से पहले केवल EPF subscription की राशि ही काटी गई है। जैसाकि निम्न विवरण अनुसार चयनित माह 03/17 में सफाई ठेकेदार को किए गए भुगतान के बिल/वाउचर से स्पष्ट विदित होता है:-

S.no.	Zone no.	V.no.	Period	Gross amount of bill (₹)	Income tax (₹)	EPF subscription (₹0)	Net amt. paid to Contractor (₹)
1	2	230/80/03	01/17	167000	1670	13392	151938
2	1(A)	230/80/03	1/17	60000	600	5357	54043
3	3	230/80/03	1&2/17	328000	3280	26784	227936
4	1(b)	230/80/03	1&2/17	120000	1200	10714	108086

इस प्रकरण का विस्तृत अंकेक्षण करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा अवधि दिसम्बर, 2015 से जून, 2017 तक निम्न विवरण अनुसार ₹671735 जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" में दिया गया है। EPF Contribution शेयर के रूप में जमा करवाई गई थी जबकि यह समस्त राशि अनुबन्ध की शर्त संख्या-17 के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा करवाई जानी चाहिए थी। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा परिषद द्वारा EPF Contribution के रूप में जमा करवाई गई ₹671735/- की वसूली अतिशीघ्र सम्बन्धित ठेकेदारों से करके नगर परिषद निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

S.no.	Name of Contractor	EPF Contribution (to be recovered) (₹)
1	Shri Avinash Cahnder	343290
2	Shri Lukinder Kumar	328445
	Total Rs.	671735

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या -22(A) दिनांक 19.02.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चम्बा के ध्यान में लाई गई लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

19 नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मचारियों (नियमित) के वेतन व भत्तों पर ₹73.00 लाख प्रति वर्ष का किया गया व्यर्थ व्यय

नगर परिषद द्वारा चम्बा सभी 11 न. वार्डों की सुचारु सफाई व्यवस्था का कार्य ठेके पर करवाया जा रहा है तथा जिस हेतु ठेकेदार को प्रति माह निम्न प्रकार से भुगतान किया जा रहा है:-

S.no.	Name of Contractor	Zone no.	Area	Amount paid per month
1	Sh. Lukinder kumar	3	Sapri,Hatnala,Julakri & Dharog	263688
2	Sh. Avinash Chander	1	Hatnala,Jansoli,Chountra &Surara	194880
		2	Chaugan,Kasakara & Sultanpur	229018
Total				₹687586/- pm

इस प्रकार स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा शहर की सफाई पर प्रति वर्ष ₹82.51 लाख (687586X12) से अधिक का खर्च सफाई ठेकेदारों के भुगतान पर किया जा रहा है जबकि नगर परिषद् के अपने 23 न. सफाई मजदूर नियमित तौर पर कार्यरत हैं जिनके वेतन व भत्तों पर प्रतिवर्ष परिशिष्ट "ट" में दिए विवरण अनुसार लग-भग ₹73.00 लाख से अधिक का खर्च MC निधि से किया जा रहा है I जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट "ट" में दिया गया है I

अंकेक्षण में पाया गया कि इन सफाई मजदूरों को भी शहर की सफाई हेतु नियुक्त किया गया था, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि वर्तमान में सफाई का सम्पूर्ण कार्य ठेके पर करवाया जा रहा है I

अतः इन 23 न. सफाई मजदूरों के वेतन व भत्तों पर प्रति वर्ष लग-भग ₹73.00 लाख से अधिक का किया जा रहा खर्च व्यर्थ प्रतीत होता है I अतः यह प्रकरण नगर परिषद चम्बा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकरण की जाँच-पड़ताल की जाए और अगर यह पाया जाता है कि वर्तमान में उक्त नियमित मजदूरों से वास्तविकता में कोई कार्य नहीं लिया जा रहा है तो शहर के 4-5 वार्डों का सफाई का कार्य ठेके पर न देकर इन 23 नियमित मजदूरों से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इनके वेतन व भत्तों पर प्रति वर्ष किया जा रहा लग-भग ₹73.00 से अधिक खर्च का सदुपयोग होने के अतिरिक्त ठेकेदार को सफाई कार्य हेतु किए जा रहे व्यय में कमी से परिषद को बचत भी हो सके।

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण अध्याचना संख्या - 21(A) दिनांक 12.02.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाई गई थी लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

20 विश्राम गृह की मुरम्मत व रख-रखाव पर ₹1.63 लाख का निष्फल व्यय

(वाउचर संख्या-230/51/63, दिनांक 09.10.15 ₹162869/-)

अंकेक्षण में पाया गया कि ₹162869 का व्यय परिषद के विश्राम गृह की मुरम्मत व रख-रखाव पर किया गया था जबकि विश्राम गृह को वर्ष 2008 से मैसर्ज दिनेश एंड कम्पनी पार्टनर श्री दिनेश महाजन को पट्टे किराये पर दिया गया था जबकि वर्ष 2008 के उपरान्त उन द्वारा बिना किसी अनुबन्ध नवीनीकरण के चलाया जा रहा है। उपरोक्त विल/वाउचर की जाँच पड़ताल में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(i) श्री दिनेश महाजन, पार्टनर मैसर्ज दिनेश एंड कम्पनी, चौगान चम्बा द्वारा गत 8-9 वर्षों से नगर परिषद चम्बा के विश्राम गृह पर अवैध कब्जा कर रखा है क्योंकि नगर परिषद व श्री दिनेश कुमार के बीच विश्राम गृह को पट्टे किराये चलाने से सम्बन्धित वर्ष 2008 के उपरान्त किसी भी प्रकार का अनुबन्ध नहीं हुआ है जोकि विश्राम गृह को पट्टे किराये पर देने सम्बन्धित अनुबन्ध नियम व शर्तों का विवाद पैदा करता है।

(ii) श्री दिनेश महाजन से दिनांक 31.03.17 तक पट्टे किराये के रूप में ₹ 894919/- वसूली हेतु शेष थी जिसमें से ₹679985/- वर्ष 2008 तक की बकाया राशि शामिल है, जो कि दिनांक 31.03.17 तक जमा नहीं की गई थी तथा इसके बावजूद भी श्री दिनेश महाजन द्वारा नगर परिषद के विश्राम गृह पर कब्जा बनाये रखा गया है।

(iii) अंकेक्षण में प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री दिनेश महाजन को माह मार्च, 2016 में यह नोटिस भेजा गया कि विश्राम गृह का कब्जा नगर परिषद को सौंप दे किन्तु इसके बावजूद भी नगर परिषद द्वारा दिनांक 09.10.15 को विश्राम गृह की मुरम्मत व रख-रखाव हेतु ₹162869 का व्यय कर दिया गया जबकि यह संज्ञान में होते हुए भी कि इस तिथि विशेष (09.10.15) को विश्राम गृह पर श्री दिनेश महाजन का अवैध कब्जा है। विश्राम गृह की मुरम्मत व रख-रखाव का कार्य श्री योगिंदर शर्मा, ठेकेदार निवासी मोहल्ला चर्पट चम्बा द्वारा अवार्ड पत्र संख्या 1678-81 दिनांक 22.10.13 के अंतर्गत करवाया गया जिसकी रिकार्ड प्रविष्टि MB No.45 पृष्ठ संख्या -35 से 41 दर्ज है तथा उक्त ठेकेदार द्वारा करवाए गए कार्य व किए गए भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है:-

S.no.	Item of work done by contractor	Quantity	Rate	Amount (in Rs.)
1	White washing	264.57m ²	5	1323
2	Distenpering	417.27m ²	60	25036
3	P/F tap of state nose	6	500	3000
4	P/F G.I.Pipe 12"	28rmt	400	11200
5	P/F tap of long nose	6	600	3600
6	P/F Angle valve	4	400	1600
7	P/F wash basin	6	2500	15000
8	P/F of cp stop cock	3	60	180
9	P/F pvc connection	10	100	1000
10	P/F steel work	166.50kg	7000 qtl	11655
11	P/F painting on wood	300.74m ²	60	18044
12	P/F PVC water tank	6 nos	800	4800
13	P/F water closet	4	700	2800
14	S/F Metal Box of 180x100x60mm	3	600	1800
15	Electrical wiring	25	100	2500
16	P/F 28w FTC	6	300	1800
17a	S/F one way switches	20	50	1000
17b	S/F one way sockets	20	50	1000
18	S/F CFL lamp IIW	16	250	4000
19	White glazed tiles flooring	59.92 m ²	860	51531
	Total Rs....			162869

अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि वर्णित प्रकरण की आंतरिक स्तर पर पूर्ण छानबीन करवाने उपरांत ₹162869 के विश्राम गृह की मुरम्मत व रख-रखाव पर किए गए अनुचित व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद चम्बा द्वारा उक्त मुरम्मत व रख-रखाव व्यय करके श्री दिनेश महाजन से विश्राम गृह के अवैध कब्जे को छुड़वाने हेतु कोई प्रयास करने की अपेक्षा उसकी कब्जा बनाए रखने में मदद की जा रही है वह भी उस स्थिति में जबकि उससे ₹894919 की बकाया राशि वसूली हेतु शेष हो और वर्तमान में उनके द्वारा परिषद को विश्राम गृह के पट्टे की एवज में कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या - 18(A) दिनांक 05.02.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाई गई थी किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 विज्ञापन हेतु ₹1708 का अधिक भुगतान करना (PMAY Cash Book)

(वाउचर स.1782, दिनांक 15.03.17 ₹11376/-)

उपरोक्त वाउचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ₹11376 का भुगतान मैसर्स अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, धर्मशाला को उनके बिल संख्या-D-DHM-16090249 दिनांक 19.09.16 जोकि उनके समाचार पत्र में दिनांक 18.09.16 को प्रधानमंत्री आवास योजना बारे छपे 400 sqm area के विज्ञापन के लिए ₹28.44 प्रति sqm की दर से किया गया था किन्तु बिल में जो ₹28.44 प्रति sqm की दर चार्ज की गई थी उसमें सरकारी विभागों की विज्ञापन पर 15% छूट का लाभ प्रदान नहीं किया गया था जबकि Directorate of advertising and visual publicity (DAVP) New Delhi द्वारा निर्धारित दर 15% छूट के उपरान्त ₹24.17 प्रति sqm थी I अतः इस प्रकार ₹1708/- {400x4.27(28.44-24.17)} का अधिक भुगतान किया गया है जिस का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹1708 की वसूली मैसर्स अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, धर्मशाला से करके PMAY खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

NULM / SJSRY Cash Book:-

22 कर्मचारियों को यात्रा भत्ता ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना

(i वाउचर संख्या शून्य, दिनांक 07.03.17 क्रमशः ₹4296 & ₹8592)

उक्त वाउचरों द्वारा श्री मति निर्मला चौहान खुराना को ₹4296 तथा श्री मति रुचि महाजन को ₹8592 के यात्रा भत्ता दावा के रूप में भुगतान to attend the review meeting on est. & component of Day-NULM on 22.02.17 & demonstration of mobile application for city live hoods centre cum review meeting under Day NULM on 14.02.17 किया गया था I श्रीमति निर्मला चौहान खुराना व श्री मति रुचि महाजन की नियुक्ति मेनेजर (S&MI व S&WI) के पद पर बतौर (Expert under NULM) निर्धारित (fixed) वेतन ₹54000 प्रति माह पर की गई थी I

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि.प्र.-शिमला के की अधिसूचना संख्या-UD-H(F)-(1)-10/97-NULM Attendance-18601-610 दिनांक 14.01.16 के अंतर्गत NULM में Experts के रूप नियुक्त किए गए कर्मचारियों को TA/DA का प्रावधान इस प्रकार किया गया है कि

“Expert hired under NULM shall be entitled to TA/DA and other allowances as per the Government of HP Finance Department order dated 20th April,2012 applicable for ‘B’ category”.

अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त कर्मचारियों द्वारा यात्राएं सुबह 6:00 बजे HRTC A.C. buses में दर्शाई गई थीं परन्तु इस बारे जब नगर परिषद चम्बा से पूछताछ की गई कि क्या HRTC की कोई वॉल्वो बस सुबह चम्बा से शिमला के लिए जाती है तो मौखिक तौर पर HRTC डिपो चम्बा से पता करके यह बताया गया कि सुबह कोई भी A.C./वॉल्वो बस चम्बा से शिमला के लिए न ही जाती है और न ही आती है, सिर्फ एक सुपर फ़ास्ट साधारण बस चम्बा से शिमला के लिए जाती है जिसका किराया मात्र ₹530/- प्रति यात्री है। इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता नियमानुसार साधारण बस से उच्च श्रेणी की बस का किराया Claim करने के समर्थन में यात्रा भत्ता दावे के साथ टिकटें भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस प्रकार संशय उत्पन्न होता है कि उक्त वर्णित अधिकारियों द्वारा वास्तविकता से अधिक यात्रा किराया Claim करके उन्हें ₹1636 का प्रति यात्रा अधिक भुगतान किया गया है।

इसी तरह ₹200 प्रति दिन की दर से शिमला में स्थानीय यात्रा भत्ता के रूप में राशि ₹800 प्रति यात्रा अधिक भुगतान किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग की उच्च वर्णित अधिसूचना दिनांक 20th April, 2012 ” के अंतर्गत स्थानीय यात्रा भत्ता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उक्त वर्णित अनियमितताओं के कारण श्री मति निर्मला चौहान खुराना को निम्न विवरणानुसार ₹4872/- (2436+2436) का तथा श्री मति रुचि महाजन को ₹2436 का अधिक भुगतान किया गया था

(i) Vr.No. Nil Dated 7.3.17=₹4296

Name	Period	Date & time of departure & arrival	Particulars	Fair actually paid	Fair to be paid	Excess amount paid
श्री मति निर्मला चौहान खुराना	21.02.17 to 24.02.17	21.02.17 (6:00AM to 8:30 PM))	Chamba to Shimla (By A.C. bus)	1348	530	818
			Local travelling charges paid for shimla for 4 days @ Rs. 200 per day	800	0	800
			DA for 4 days @ Rs.200/-	800	800	0
		24.02.17 (7:00 AM to 8:00 PM)	Shimla to Chamba(By A.C. bus)	1348	530	818
					Total	₹2436

(ii) Vr.No. Nil dated 7.3.17 ₹8592

Name	Period	Date & time of departure	Particulars	Fair actually charged	Ordinary fair	Excess amount paid
श्री मति निर्मला चौहान खुराना	13.02.17 to 16.02.17	13.02.17(6: 00AM to 8:30 PM)	Chamba to Shimla (By A.C. bus)	1348	530	818
			Local travelling charges paid for shimla for 4 days @ Rs. 200 per day	800	0	800
			DA for 4 days @ Rs.200/-	800	800	0
		17.02.17(7:00 AM to 8:00 PM)	Shimla to Chamba (By A.C. bus)	1348	530	818
श्री मति रूचि महाजन	13.02.17 to 16.02.17	13.02.17 (6: 00AM to 8:30 PM)	Chamba to Shimla (By A.C. bus)	1348	530	818
			Local travelling charges paid for shimla for 4 days @ Rs. 200 per day	800	0	800
			DA for 4 days @ Rs.200/-	800	800	0
		17.02.17 (7:00 AM to 8:00 PM)	Shimla to Chamba (By A.C. bus)	1348	530	818
Total Rs.						4872
Grand Total (i) & (ii)						7308

अतः यह प्रकरण नगर परिषद चम्बा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकरण की पूर्ण छानबीन की जाए और उपरोक्तानुसार यदि कोई गलत यात्रा भत्ता दावा आहरण किया गया पाया जाता है तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाई जाए तथा उक्त वर्णित अधिक भुगतान की राशि के साथ-2 इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में किए गए अधिक भुगतान की गणना अपने स्तर पर करके वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

23 स्थापना :-

(क) स्थापना पर ₹232.29 लाख का अनियमित व्यय

नगर पालिका अधिनियम -1994 के अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार स्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग के बराबर राशि व्यय की जा सकती है जबकि अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.04.2015 से 31.03.2017 के दौरान स्थापना पर निम्न विवरणानुसार ₹23228940/- का अनियमित रूप से अधिक व्यय किया गया था जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट “ ठ “ पर दिया गया है:-

Years	Total Expenditure (₹)	1/3 rd expenditure on establishment (₹)	Actual expenditure on establishment (₹0	Excess expenditure on establishment (₹)
2015-16	64011228	21337076	30510469	9173393
2016-17	62759342	20919780	34975327	14055547
Total Rs.				23228940

अतः स्थापना पर नियमों में निर्धारित राशि से अधिक ₹23228940 के व्यय करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अधिक व्यय की गई राशि की कार्योत्तर स्वीकृती सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही स्थापना व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विभिन्न कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹3.80 लाख के वेतन व भत्तों का किया गया अधिक भुगतान :-

(i) श्री राजेश चौधरी, कनिष्ठ अभियंता (नियुक्ति तिथि 28.10.2000)

नगर परिषद चम्बा द्वारा श्री राजेश चौधरी, कनिष्ठ अभियंता को, कनिष्ठ अभियंता वर्ग के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या-FIN(PR)-B(7)-59/2010 दिनांक 27.09.2012 में दिए गए निर्देशों अनुसार वेतन निर्धारण किया जाना अपेक्षित था किन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि श्री राजेश चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता को उक्त अधिसूचना के अंतर्गत ACPS 2:10:20 में दस वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि और ₹5400 ग्रेड पे देकर दिनांक 01.10.2012 से वेतन का निर्धारण किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि वास्तविकता में उन्हें नियमानुसार सिर्फ ग्रेड पे ₹5400 का लाभ ही देय था इसके अतिरिक्त नगर परिषद चम्बा द्वारा दिनांक 09.08.12 को भी उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था जोकि देय नहीं था। अतः नगर परिषद द्वारा जो

वेतन निर्धारण किया गया और नियमानुसार जो वेतनमान निर्धारित किया जाना चाहिए था, उसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Shri Rajesh Choudhary (Junior Engineer) was appointed on dated 28.10.2000 and 8 year benefit was due on 28.10.2008 under ACPS. At that time the pay was required to be fixed after granting an increment alongwith higher grade pay of Rs. 4200, but only benefit of one increment was allowed and higher grade pay was not granted to him. By fixing his annual increment after considering higher grade pay, his pay on 01.10.2011 comes out to RS.16500+4200 (GP). The detail is given below:

Date	Pay fixed by MC-Chamba (₹)	Pay to be fixed as per rule (₹)	Remarks
01.10.11	16460+3800=20260	16500+4200=20700	After annual increment
09.08.12	17070+3800=20870	16500+4200=20700	Extra increment granted wrongly by MC.
01.10.12	17700+5400=23100	17130+5400=22530	On completion of 10 years regular service pay band and grade pay revised to Rs.15600-39100+5400 GP.
01.10.13	18400+5400=23800	17810+5400=23210	
01.10.14	19120+5400=24520	18510+5400=23910	
01.10.15	19860+5400=25260	19230+5400=24630	
01.10.16	20620+5400=26020	19970+5400=25370	
01.10.17	21400+5400=26800	20740+5400=26140	

अतः गलत वेतनमान निर्धारण के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹83022 का अधिक भुगतान किया गया:-

Period	Due				Drawn				Differ ence (₹)	mo nths	Total excess paid (₹)
	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Tota (₹)	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)			
09.08.12 to 30.09.12	16500+4 200	14904		35604	20870	15026		35896	292	1.74	508
01.10.12 to 31.12.12	22530	16222		38752	23100	16632		39732	980	3	2940
01.01.13 to 30.06.13	22530	18024		40554	23100	18480		41580	1026	6	6156
01.07.13 to 30.09.13	22530	20277		42807	23100	20790		43890	1083	3	3249
01.10.13 to 31.12.13	23210	20889		44099	23800	21420		45220	1121	3	3363
01.01.14 to 30.06.14	23210	23210		46420	23800	23800		47600	1180	6	7080
01.07.14 to 30.09.14	23210	24835		48045	23800	25466		49266	1221	3	3663
01.01.14 to 31.12.14	23910	25584		49494	24520	26236		50756	1262	3	3786
01.01.15to	23910	27018		50928	24520	27708		52228	1300	6	7800

30.06.15											
01.07.15 to 30.09.15	23910	28453		52363	24520	29179		53699	1336	3	4008
01.10.15 to 31.12.15	24630	29310		53940	25260	30059		55319	1379	3	4137
01.1.16 to 30.06.16	24630	30788		55418	25260	31575		56835	1417	6	8502
01.07.16 to 31.7.16	24630	32019		56649	25260	32838		58098	1449	1	1449
01.08.17 to 30.09.16	24630	32019	1232	57881	25260	32838	1263	59361	1480	2	2960
01.10.16 to 31.12.16	25370	32981	1269	59620	26020	33826	1301	61147	1527	3	4581
01.01.17 to 31.07.17	25370	33996	1269	60635	26020	34867	1301	62188	1553	7	10871
01.08.17 to 30.09.17	25370	33996	2283	61649	26020	34867	2342	63229	1580	2	3160
01.10.17 to 31.12.17	26140	35028	2353	63521	26800	35912	2412	65124	1603	3	4809
कुल योग											83022

नगर परिषद द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह जनवरी, 2018 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के सुझावानुसार आरम्भ कर दिया गया है। अतः श्री राजेश चौधरी, कनिष्ठ अभियंता को वेतन के रूप में उक्त अधिक भुगतान ₹83022 की वसूली सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ii) श्रीमति पवनेश, कनिष्ठ सहायक

श्रीमति पवनेश द्वारा दिनांक 09.03.1999 को नगर परिषद चम्बा में वतौर लिपिक अपना पद ग्रहण किया। सेवा पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्रीमति पवनेश, कनिष्ठ सहायक (पूर्व में लिपिक) का विभिन्न स्तरों पर वेतन गलत निर्धारित किया गया था तथा कार्यालय आदेश संख्या- 133 दिनांक 13.10.15 के द्वारा लिपिक के पद से कनिष्ठ सहायक के पद पर placement करने पर उच्च वेतनमान का grade pay व एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था जबकि नियमानुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर placement करने पर केवल उच्च वेतनमान की grade pay का लाभ ही देय था। इस प्रकार उन्हें एक वेतन वृद्धि का प्रदान किया गया लाभ देय नहीं था। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.8.09 को ACPS का लाभ (वित्तीय लाभस 9.8.12 से) प्रदान करने पर भी उनका वेतन गलत निर्धारित किया गया था। अतः श्रीमति पवनेश, कनिष्ठ सहायक का वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था :-

Date	Pay fixed by MC- Chamba (₹)	Date	Pay to be fixed as per rule (₹)	Remarks
27.08.09	9480+1950=11430	27.08.09	9060+1950=11010	Pay fixed after grant a

				9 years service Increment Under new A CPS 4:9:14.			
01.03.10	9830+1950=11780	01.03.10	9390+1950=11340				
01.03.11	10190+1950=12140	01.03.11	9730+1950=11680				
01.03.12	10560+1950=12510	01.03.12	10080+1950=12030				
01.10.12	10560+3200=13760	01.10.12	10300+3200=13500	Higher grade pay+Pay band			
01.03.13	10980+3200=14180	01.10.13	10710+3200=13910				
01.03.14	11410+3200=14610	01.10.14	11130+3200=14330				
01.03.15	11850+3200=15050	01.10.15	11560+3200=14760				
01.11.15	12310+3600=15910	01.11.15	11560+3600=15160	Placement on dt.13.10.15 to the The post of junior assistant in the pay Band of Rs.10300- 34800+GP Rs.3600 w.e.f. 01.11.15			
01.03.16	12790+3600=16390	01.10.16	12020+3600=15620				
01.03.17	13290+3600=16890	01.10.17	12490+3600=16090				

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹102128 का अधिक भुगतान किया गया है:-

Period	Due				Drawn				Differ ence (₹)	No. of months (₹)	Total excess paid Rs. (₹)
	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)			
09.08.12 से 30.09.12	12030	8662		20692	12510	9007		21517	825	1.74	1437
01.10.12 से 31.12.12	13500	9720		23220	13760	9907		23667	447	3	1341
01.01.13 से 28.02.13	13500	10800		24300	13760	11008		24768	468	2	936
01.03.13 से 30.06.13	13500	10800		24300	14180	11344		25524	1224	4	4896
01.07.13 से 30.09.13	13500	12150		25650	14180	12762		26942	1292	3	3876
01.10.13 से 31.12.13	13910	12519		26429	14180	12762		26942	513	3	1539
01.01.14 से 28.02.14	13910	13910		27820	14180	14180		28360	540	2	1080
01.03.14 से 30.06.14	13910	13910		27820	14610	14610		29220	1400	4	5600

01.07.14 से 30.09.14	13910	14884		28794	14610	15633		30243	1449	3	4347
01.10.14 से 31.12.14	14330	15333		29663	14610	15633		30243	580	3	1740
01.01.15 से 28.02.15	14330	16193		30523	14610	16509		31119	596	2	1192
01.03.15 से 30.06.15	14330	16193		30523	15050	17007		32057	1534	4	6136
01.07.15 से 30.09.15	14330	17053		31383	15050	17910		32960	1577	3	4731
01.10.15 से 31.10.15	14760	17564		32324	15050	17910		32960	636	1	636
01.11.15 से 31.12.15	15160	18040		33200	15910	18933		34843	1643	2	3286
01.01.16 से 28.02.16	15160	18950		34110	15910	19888		35798	1688	2	3376
01.03.16 से 30.06.16	15160	18950		34110	16390	20488		36878	2768	4	11072
01.07.16 से 31.07.16	15160	19708		34868	16390	21307		37697	2829	1	2829
01.08.16 से 30.09.16	15160	19708	758	35626	16390	21307	820	38517	2891	2	5782
01.10.16 से 31.12.16	15620	20306	781	36707	16390	21307	820	38517	1810	3	5430
01.01.17 से 28.02.17	15620	20931	781	37332	16390	21963	820	39173	1841	2	3682
01.03.17 से 31.07.17	15620	20931	781	37332	16890	22633	845	40368	3036	5	15180
01.08.17 से 30.09.17	15620	20931	1406	37957	16890	22633	1520	41043	3086	2	6172
01.10.17 से 31.12.17	16090	21561	1448	39099	16890	22633	1520	41043	1944	3	5832
कुल योग											102128

नगर परिषद द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह जनवरी, 2018 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के परामर्शानुसार आरम्भ कर दिया गया है।

अतः श्रीमति पवनेश, कनिष्ठ सहायक को वेतन के रूप में उक्त अधिक भुगतान ₹102128 की वसूली सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(iii) श्रीमति पूनम कनिष्ठ सहायक

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमति पूनम, कनिष्ठ सहायक (पूर्व में लिपिक) को कार्यालय आदेश संख्या- 3636 दिनांक 31.07.15 द्वारा लिपिक के पद से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान ₹10300-34800+जीपी0 3600 में दिनांक 1.8.15 से placement करने पर उच्च वेतनमान की grade pay व एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था जबकि नियमानुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर placement करने पर केवल उच्च वेतनमान की grade pay का लाभ ही देय था। इस प्रकार उन्हें एक वेतन वृद्धि का प्रदान किया गया लाभ देय नहीं था। अतः श्रीमति पूनम, कनिष्ठ सहायक का वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था :-

Smt Punam Mehta placed to the post of junior assistant in the pay band Rs.10300-34800+Grade pay of Rs.3600 vide MC-Chamba office order no.363 dated 31.07.15 and her pay fixed as under:-

Date	Pay fixed by MC-Chamba (₹)	Pay to be fixed as per rule (₹)	Remarks
01.05.15	13850+3200=17050	13850+3200=17050	Pay drawn as clerk
01.08.15	14370+3600=17970	13850+3600=17450	Pay fixed as junior assistant
01.05.16	14910+3600=18510	14380+3600=17980	Annual increment
01.05.17	15470+3600=19070	14920+3600=18520	Annual increment

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹35898 का अधिक भुगतान किया गया है:-

Period	Due				Drawn				Difference (₹)	No. of months	Total excess paid (₹)
	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)			
01.08.15 से 31.12.15	17450	20766		38216	17970	21384		39354	1338	5	5690
01.01.16 से	17450	21813		39263	17970	22463		40433	1170	4	4680

30.04.16											
01.05.16से 30.06.16	17980	22745		40455	18510	23138		41648	1193	2	2386
01.07.16से 31.07.16	17980	23374		41354	18510	24063		42573	1219	1	1219
01.08.16 से 31.12.16	17980	23374	899	42253	18510	23063	926	43499	1246	5	6230
01.01.17 से 30.04.17	17980	24093	899	42972	18510	24803	926	44239	1267	4	5068
01.05.17से 31.07.17	18520	24817	926	44263	19070	25554	954	45578	1315	3	3945
01.08.17 से 31.12.17	18520	24817	1667	45004	19070	25554	1716	46340	1336	5	6680
कुल योग											35898

नगर परिषद द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह जनवरी, 2018 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के परामर्शनुसार कर दिया गया है।

अतः श्रीमति पूनम, कनिष्ठ सहायक को वेतन के रूप में उक्त अधिक भुगतान ₹35898 की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) श्री विवेक कुमार, (लिपिक)

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद चम्बा द्वारा श्री विवेक कुमार, (लिपिक), को दिनांक 01.10.2012 से लिपिक के पद पर दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-FIN(P.R.)-B(7)-64/2010 दिनांक 27.09.2012 के अंतर्गत उच्च वेतनमान ₹10300-34800+3200 जीपी का लाभ प्रदान किया गया था। जिस के फलस्वरूप उनका वेतन न्यूनतम स्तर पर ₹13500 (₹10300+₹3200) दिनांक 01.10.12 को निर्धारित किया गया जोकि दिनांक 01.10.12 से पहले प्राप्त कुल वेतन ₹11250/- (9250+2000) से ₹2250 अधिक था, अर्थात् उन्हें एक वेतन वृद्धि से अधिक का लाभ हुआ था। वर्णित तथ्यों के आधार पर उनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि नियमानुसार एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 1.10.13 को देय होनी चाहिए थी परन्तु परिषद द्वारा श्री विवेक कुमार, (लिपिक), को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.03.2013 से प्रदान की गई जोकि अनियमित है।

अतः श्री विवेक कुमार, (लिपिक) का वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था:-

Date	Pay fixed by MC- Chamba (₹)	Pay to be fixed as per rule (₹)	Remarks
01.03.12	9250+2000=11250	9250+2000=11250	
01.10.12	10300+3200=13500	10300+3200=13500	Higher grade pay + Pay band
01.03.13	10710+3200=13910	10300+3200=13500	
01.10.13	10710+3200=13910	10710+3200=13910	Annual increment
01.03.14	11130+3200=14330	10710+3200=13910	
01.10.14	11130+3200=14330	11130+3200=14330	
01.03.15	11560+3200=14760	11130+3200=14330	
01.10.15	11560+3200=14760	11560+3200=14760	
01.03.16	12010+3200=15210	11560+3200=14760	
01.10.16	12010+3200=15210	12010+3200=15210	
01.03.17	12470+3200=15670	12010+3200=15210	
01.10.17	12470+3200=15670	12470+3200=15670	

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹32682 का अधिक भुगतान किया गया है:-

Period	Due				Drawn				Differen ce (₹)	No. of month s	Total excess paid Rs.
	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total(₹)			
01.03.13 से 30.06.13	13500	10800		24300	13910	11128		25038	738	4	2952
01.07.13 से 30.09.13	13500	12150		25650	13910	12519		26429	779	3	2337
01.03.14 से 30.06.14	13910	13910		27820	14330	14330		28660	840	4	3360
01.07.14 से 30.09.14	13910	14884		28794	14330	15333		29663	869	3	2607
01.03.15 से 30.06.15	14330	16193		30523	14760	16679		31439	916	4	3664
01.07.15 से 30.09.15	14330	17053		31383	14760	17564		32324	941	3	2823
01.03.16 से 30.06.16	14760	18450		33210	15210	19013		34223	1013	4	4052
01.07.16 से 31.07.16	14760	19188		33948	15210	19773		34983	1035	1	1035
01.08.16 से 30.09.16	14760	19188	738	34686	15210	19773	761	35744	1058	2	2116
01.03.17	15210	20381	761	36352	15670	20998	784	37452	1100	5	5500

से 31.07.17											
01.08.17 से 30.09.17	15210	20381	1369	36960	15670	20998	1410	38078	1118	2	2236
कुल योग											32682

नगर परिषद द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह जनवरी, 2018 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के परामर्शनुसार कर दिया गया है।

अतः श्री विवेक कुमार, (लिपिक) को वेतन के रूप में उक्त अधिक भुगतान ₹32682 की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(V) श्री विक्टर, भिस्ती (Bhisti) (नियमित नियुक्ति की तिथि 30.7.91)

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री विक्टर, भिस्ती (Bhisti), को हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या –FIN(PR)B(7)-59/2010 दिनांक 09.08.2012 के अंतर्गत दिनांक 27.08.2009 से New ACPS के अंतर्गत 4:9:14 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किए जा चुके थे, इसलिए परिषद द्वारा दिनांक 09.08.12 को उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करके किया गया वेतन निर्धारण गलत प्रतीत होता है। अतः श्री विक्टर, भिस्ती (Bhisti) का वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था :-

Date	Pay fixed by MC-Chamba (₹)	Pay to be fixed as per rule (₹)	Remarks
01.08.09	8650+1300=9950	8650+1300=9950	Benefit under old ACPS on Completion of 8&16 years Has already been granted. Benefit of one extra increment On completion of 14 years of service.
27.08.09	8950+1650=10600	8950+1650=10600	
01.08.10	9270+1650= 10920	9270+1650=10920	
01.08.11	9600+1650= 11250	9600+1650=11250	
01.08.12	9940+1650=11590	9940+1650=11590	
09.08.12	10290+1650=11940	9940+1650=11590	
01.08.13	10650+1650=12300	10290+1650=11940	
01.08.14	11020+1650=12670	10650+1650=12300	
01.08.15	11400+1650=13050	11020+1650=12670	
01.08.16	11800+1650=13450	11400+1650=10350	
01.08.17	12210+1650=13860	11800+1650=13450	

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹49882 का अधिक भुगतान किया गया है:-

Period	Due				Drawn				Difference (₹)	No. of months	Total excess paid (₹)
	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)			
09.08.12 से 31.12.12	11590	8345		19935	11940	8597		20537	602	1.74	1048
01.01.13 से 30.06.13	11590	9272		20862	11940	9552		21492	630	6	3780
01.07.13 से 31.07.13	11590	10431		22021	11940	10746		22686	665	1	665
01.08.13 से 31.12.13	11940	10746		22686	12300	11070		23370	684	5	3420
01.01.14 से 30.06.14	11940	11940		23880	12300	12300		24600	720	6	4320
01.07.14 से 31.07.14	11940	12776		24716	12300	13161		25461	745	1	745
01.08.14 से 31.12.14	12300	13161		25461	12670	13557		26227	766	5	3830
01.01.15 से 30.06.15	12300	13899		26199	12670	14317		26987	788	6	4728
01.07.15 से 31.07.15	12300	14637		26937	12670	15077		27747	810	1	810
01.08.15 से 31.12.15	12670	15077		27747	13050	15530		28580	833	5	4165
01.01.16 से 30.06.16	12670	15838		28508	13050	16313		29363	855	6	5130
01.07.16 से 31.07.16	12670	16471		29141	13050	16965		30015	874	1	874
01.08.16 से 31.12.16	13050	16965	653	30668	13450	17485	673	31608	940	5	4700
01.01.17 से 31.07.17	13050	17487	653	31190	13450	18023	673	32146	956	7	6692
01.08.17 से 31.12.17	13450	18023	1211	32684	13860	18572	1247	33679	995	5	4975
कुल योग											49882

नगर परिषद द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह जनवरी, 2018 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के परामर्शनुसार किया गया है।

अतः श्री विक्टर, भिस्ती (Bhisti), को वेतन के रूप में उक्त अधिक भुगतान ₹49882 की वसूली सम्बन्धित से सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(VI) श्री चरण सिंह, मेट (पूर्व में बेलदार) बतौर बेलदार (नियमित नियुक्ति तिथि 6.9.07 व बतौर मेट पदोन्नति तिथि 21.10.16)

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री चरण सिंह, बेलदार, को हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या –FIN(PR)B(7)-59/2010 दिनांक 09.08.2012 द्वारा अधिसूचित New ACPS 4:9:14 के अंतर्गत दिनांक 06.09.2016 से 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ अनुचित रूप से प्रदान किया गया। क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 01.10.12 से higher grade pay का लाभ जारी तथा दिनांक 29.10.16 से बतौर मेट पदोन्नति का लाभ प्रदान करने के कारण उन्हें अब 9 वर्ष व 14 वर्ष का लाभ देय नहीं बनता है क्योंकि वे पहले ही अधिकतम तीन लाभ प्राप्त कर चुके हैं। अतः श्री चरण सिंह, Mate (पूर्व में बेलदार) का वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था :-

Date	Pay fixed by MC-Chamba (₹)	Pay to be fixed as per rule (₹)	Remarks
06.09.11	5910+1400=7310	5910+1400=7310	ACPS on completion of 4 years Service.
01.09.12	6130+1400=7530	6130+1400=7530	
01.10.12	6130+1650=7780	6130+1650=7780	Grant of higher grade pay.
01.09.13	6370+1650=8020	6370+1650=8020	
01.09.14	6610+1600=8260	6610+1600=8260	
01.09.15	6860+1650=8510	6860+1650=8510	
01.09.16	7120+1650=8770	7120+1650=8770	
06.09.16	7390+1650=9040	7120+1650=8770	ACPS on completion of 9 Years service wrongly Granted
29.10.16	7670+1650=9320	7390+1650=9040	Promotion as mate in the Pay band Rs.4900-10680 +grade pay Rs.1650/-.
01.10.17	7950+1650=9600	7670+1650=9320	

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹10563 का अधिक भुगतान किया गया है:-

Period	Due				Drawn				Differe nce (₹)	No. of months	Total excess paid (₹)	
	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹0	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)				
06.09.16 से 28.10.16	8770	11401	439	20610	9040	11752	452	21244	634	25 & 28 days	1100	
29.10.16 से 31.10.16	9040	11752	452	21244	9320	12116	466	21902	658	3 days	64	
01.11.16से 31.12.16	9040	11752	452	21244	9320	12116	466	21902	658	2	1316	
01.01.17से 31.07.17	9040	12114	452	21606	9320	12489	466	22275	669	7	4683	
01.08.17से 30.09.17	9040	12114	814	21968	9320	12489	839	22648	680	2	1360	
01.10.17से 31.12.17	9320	12489	839	22648	9600	12864	864	23328	680	3	2040	
कुल योग											10563	124

नगर परिषद द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह जनवरी, 2018 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के परामर्शनुसार किया गया है।

अतः श्री चरण सिंह, Mate को वेतन के रूप में उक्त अधिक भुगतान ₹10563 की वसूली सम्बन्धित से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।
(vii) श्री राकेश कुमार, बेलदार (नियमित नियुक्ति तिथि 7.9.07)

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री राकेश कुमार, बेलदार, को हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या –FIN(PR)B(7)-59/2010 दिनांक 09.08.2012 द्वारा अधिसूचित New ACPS 4:9:14 के अंतर्गत दिनांक 07.09.2016 से 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर एक वेतन वृद्धि का अनुचित रूप से लाभ प्रदान किया गया क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 01.10.2012 से Higher grade pay का लाभ प्रदान करने के कारण प्रदत्त लाभ देय नहीं बनता था। अतः श्री राकेश कुमार, बेलदार का वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था :-

Date	Pay fixed by MC-Chamba (₹)	Pay to be fixed as per rule (₹)	Remarks
01.09.16	7120+1650=8770	7120+1650=8770	

07.09.16 7390+1650=9040

7120+1650=8770

ACPS on completion of 9
Years service wrongly
Granted on 07.09.16

01.09.17 7670+1650=9320

7390+1650=9040

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹8261 का अधिक भुगतान किया गया है:-

Period	Due				Drawn				Difference (in Rs.)	No. of months	Total excess paid Rs.
	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹0)	Total (₹)	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total			
07.09.16 से 31.12.16	8770	11401	439	20610	9040	11752	452	21244	634	3.24/30	2409
01.01.17 से 31.07.17	8070	11752	439	20961	9040	12114	452	21606	645	7	4515
01.08.17 से 31.08.17	8770	11752	789	21311	9040	12114	814	21968	657	1	657
01.09.17 से 30.09.17	9040	12114	814	21968	9320	12489	839	22648	680	1	680
कुल योग											8261

नगर परिषद द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह जनवरी, 2018 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के परामर्शनुसार किया गया है।

अतः श्री राकेश कुमार, बेलदार को वेतन के रूप में उक्त अधिक भुगतान ₹8261 की वसूली सम्बन्धित से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(viii) श्री सुरेश कुमार, बेलदार

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री राकेश कुमार, बेलदार, को हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या –FIN(PR)B(7)-59/2010 दिनांक 09.08.2012 द्वारा अधिसूचित New ACPS 4:9:14 के अंतर्गत दिनांक 1-4-17 से 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर एक वेतन वृद्धि का अनुचित रूप से लाभ प्रदान किया गया क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 01.10.12 से Higher grade pay का लाभ प्रदान करने के कारण उक्त प्रदत्त लाभ देय नहीं बनता था। अतः श्री सुरेश कुमार, बेलदार का वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था :-

Date	Pay fixed by MC-Chamba(₹)	Pay to be fixed as per rule	Remarks
01.04.17	7400+1650=9050	7130+1650=8780	ACPS on completion of 9 Years service wrongly Granted on 4/2017

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्नविवरणानुसार उन्हें ₹5836 का अधिक भुगतान किया गया है:-

Period	Due				Drawn				Difference (₹)	No. of months	Total excess paid (₹)
	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)			
01.04.17 से 31.07.17	8780	11765	439	20984	9050	12127	453	21630	656	7	4522
01.08.17 से 30.09.17	8780	11765	790	21335	9050	12127	815	21992	657	2	1314
								कुल योग			5836

नगर परिषद द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह जनवरी, 2018 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के परामर्शनुसार किया गया है।

अतः श्री राकेश कुमार, बेलदार को वेतन के रूप में उक्त अधिक भुगतान ₹5836/- की वसूली सम्बन्धित से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ix) बेलदारों को ACPS (4:9:14) के उच्च वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹51690 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न वर्णित बेलदारों को हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या –FIN(PR)B(7)-59/2010 दिनांक 09.08.2012 द्वारा अधिसूचित New ACPS 4:9:14 के अंतर्गत दिनांक 21.08.2016 व 22.08.16 से 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर एक वेतन वृद्धि का अनुचित रूप से लाभ प्रदान किया गया था क्योंकि इन सभी बेलदारों को दिनांक 01.10.12 से Higher grade pay का लाभ प्रदान करने के कारण उक्त प्रदत्त लाभ देय नहीं बनता था।

क्रम स.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	जितनी राशि अधिक भुगतान की गई (₹)
1	श्री राजू सुपुत्र श्री मोहरू	बेलदार	22.08.2007	8615

2	श्री कहर सिंह	बेलदार	22.08.2007	8615
3	श्री कैलासो स्फुत्र श्री रामू	बेलदार	22.08.2007	8615
4	श्री तरविजो स्फुत्र श्री गासनु	बेलदार	22.08.2007	8615
5	श्री जैसो स्फुत्र श्री चतरो	बेलदार	22.08.2007	8615
6	श्री किशोरी स्फुत्र श्री जय किशन	बेलदार	22.08.2007	8615
कुल योग				51690

अतः उक्त वर्णित बेलदारों का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना अपेक्षित था :-

Date	Pay fixed by MC-Chamba	Pay to be fixed as per rule	Remarks
21.08.16	7390+1650=9040	7120+1650=8770	ACPS on completion of 9 Years service wrongly Granted to each beldars.
01.08.17	7670+1650=9320	7390+1650=9040	

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार उन्हें ₹8615 प्रति

बेलदार कुल ₹51690 का अधिक भुगतान किया गया है:-

Period	Due				Drawn				Differe nce (₹)	No. of months	Total excess paid (₹)
	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)	Basic pay + G.P. (₹)	D.A. (₹)	I.R. (₹)	Total (₹)			
22.08.16 से 31.12.16	8770	11401	439	20610	9040	11752	452	21244	634	4.10/31	2740
01.01.17 से 31.07.17	8770	11752	439	20961	9040	12114	452	21606	645	7	4515
01.08.17 से 30.09.17	9040	12114	814	21968	9320	12489	839	22648	680	2	1360
कुल योग											8615

उपरोक्त सभी कर्मचारियों के गलत वेतन निर्धारण बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -20(A) दिनांक 12.02.2018 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण के दौरान कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। वैसे नगर परिषद द्वारा अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह जनवरी, 2018 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के परामर्शनुसार आरम्भ कर दिया गया है।

अतः उक्त बेलदारों को वेतन के रूप में अधिक भुगतान ₹51690 (Rs. 8615 x 6) की वसूली सम्बन्धित से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

अन्य

24 (क) ₹4.34 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करना

₹433564 विभिन्न उद्देश्यों हेतु नगर परिषद के विभिन्न कर्मचारियों को दिनांक 31.03.17 तक अग्रिमों के रूप में दी गई थी जिसका उल्लेख परिशिष्ट “ड” में दिया गया है, लेकिन 31.3.17 तक इन राशियों का समायोजन नहीं किया गया था। अतः कार्यकारी अधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि अग्रिमों का समायोजन नियमानुसार शीघ्र किया जाये तथा सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विभिन्न अभिलेखों/रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 तक विभिन्न अभिलेखों/रजिस्ट्रों का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

- i) तहबाजारी वसूली रजिस्टर I
- ii) मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फ़ीस का मांग व प्राप्ति रजिस्टर I
- iii) GPF/CPE/Gratuity रोकड़वही I

यह एक अत्यंत गंभीर अनियमितता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपर्युक्त वर्णित अभिलेख का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इन का तुरन्त रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

25 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न भण्डार रजिस्ट्रों में दर्ज विभिन्न मदों का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अनुसार भण्डार में पड़ी प्रत्येक मद का वार्षिक प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः नियमों के अनुसार अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करने के साथ-2 भविष्य में वार्षिक प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

- 26 लघु आपति विवरणी :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है ।
- 27 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों पर यथाशीघ्र कार्यवाही अम्ल में लाने के अतिरिक्त अस्थाई अग्रिमों के शीघ्र समायोजन हेतु भी आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

हस्ता / -

(हेमराज भारद्वाज)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं०-0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:-फिन(एल0ए0)(V) (39)/2010 खण्ड-5-5995-5996 दिनांक-11.09.18

शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

पंजीकृत

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।
2. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-2. को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिये निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता / -

(हेमराज भारद्वाज)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं०-0177-2620881

परिशिष्ट – “क”

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि Upto 31.03.1957

क्रम स.	पैरा संख्या	टिप्पणी
1	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि Upto 31.03.1957	इस अवधि के पैरों पर कोई कार्यवाई नहीं की गई

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/59 से 03/60 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	Examiner Inspection note	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/60 से 09/61 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	Examiner Inspection note	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/61 से 06/63 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	Examiner Inspection note	अनिर्णीत

(ङ.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/63 से 06/65 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	Examiner Inspection note	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/65 से 10/66 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	Examiner Inspection note	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/67 से 11/68 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	2(1)	अनिर्णीत
2	2(2)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/68 से 03/70 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	1	अनिर्णीत
2	2	अनिर्णीत
3	4	अनिर्णीत
4	5	अनिर्णीत
5	7 से 12 तक	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 09/70 से 01/73 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	4	अनिर्णीत
2	8	अनिर्णीत
3	9	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1971-72 और 1972-73

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	1 से 5 तक	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 02/73 से 03/75 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	8(ए)	अनिर्णीत
2	9(ए) से 9(जी) तक	अनिर्णीत
3	9(एच) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
4	10(2) से 10(6) तक	अनिर्णीत
5	12(8)(सी)(2) से 12(8)(सी)(19) तक	अनिर्णीत
6	12(डी)(2)(3)	अनिर्णीत
7	12(ई)(5)	अनिर्णीत

8	12(ई)(7)	अनिर्णीत
9	12(ई)(9)	अनिर्णीत
10	12(ई)(11)	अनिर्णीत
11	12(ई)(12)	अनिर्णीत
12	12(ई)(14) से 12(ई)(16) तक	अनिर्णीत
13	12(ई)(18)	अनिर्णीत
14	12(ई)(19)	अनिर्णीत
15	12(ई)(20)	अनिर्णीत
16	12(एफ)(1) से 12(एफ)(10) तक	अनिर्णीत
17	12(एफ)(13)	अनिर्णीत
18	12(एफ)(14)	अनिर्णीत
19	12(जी)(2) से 12(जी)(7) तक	अनिर्णीत
20	17	अनिर्णीत
21	18(बी)(8) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
22	18(सी)(2)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/75 से 03/81 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	7(ए)(1 से 7) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
2	7(बी) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
3	7(सी)	अनिर्णीत
4	8(1)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
5	8(2)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
6	8(बी)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
7	8(4)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
8	8(6)	अनिर्णीत
9	8(8)	अनिर्णीत
10	8(10)	अनिर्णीत
11	8(14)	अनिर्णीत
12	8(20)(1) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत

13	8(20)(2) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
14	8(26)	अनिर्णीत
15	8(28) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
16	8(29) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
17	8(31) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
18	9(10)(2) से 9(10)(4) तक	अनिर्णीत
19	10(6) से 10(8) तक	अनिर्णीत
20	10(16)	अनिर्णीत
21	10(22) से 10(25) तक	अनिर्णीत
22	10(31)	अनिर्णीत
23	10(32)	अनिर्णीत
24	11(6) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
25	11(7) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
26	12(1) से 12(3) तक	अनिर्णीत
27	15(2)	अनिर्णीत
28	20	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/81 से 03/82 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	3(बी)	अनिर्णीत
2	9 से 11 तक	अनिर्णीत
3	12(ए)	अनिर्णीत
4	12(जी)	अनिर्णीत
5	12(एच)	अनिर्णीत
6	17	अनिर्णीत
7	19(ए)	अनिर्णीत
8	22(डी)	अनिर्णीत
9	22(ई)	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/82 से 03/83 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	6(बी)	अनिर्णीत
2	6(सी)	अनिर्णीत
3	6(जी)	अनिर्णीत
4	17(ए)	अनिर्णीत
5	17(बी)	अनिर्णीत
6	18 (ए) से (सी) तक	अनिर्णीत
7	19(ए) से (सी) तक	अनिर्णीत
8	19(ई)	अनिर्णीत
9	19(एफ)	अनिर्णीत
10	19(के)	अनिर्णीत
11	19(एल)	अनिर्णीत
12	21	अनिर्णीत
13	23(2)	अनिर्णीत
14	23(3)	अनिर्णीत
15	23(6) से (44) तक	अनिर्णीत
16	23(47)	अनिर्णीत
17	23(49) से (52)	अनिर्णीत
18	26(डी)	अनिर्णीत
19	26(के)	अनिर्णीत
20	26(ओ)	अनिर्णीत
21	26(आर)	अनिर्णीत
22	26(टी)	अनिर्णीत
23	26(यू)	अनिर्णीत

(ण)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/83 से 03/85 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	12	अनिर्णीत
2	13(जी)	अनिर्णीत

3	13(एच)(5) से 13(एच)(10) तक	अनिर्णीत
4	13(के)	अनिर्णीत
5	13(आई)	अनिर्णीत
6	13(क्यू) से (13)(डब्ल्यू) तक	अनिर्णीत
7	13(वाई)	अनिर्णीत
8	15(सी)	अनिर्णीत
9	16(एल)	अनिर्णीत

(त)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/86 तक

(Examiner Inspection note)

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	9	अनिर्णीत
2	2(ए) से (ई) तक	अनिर्णीत

थ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/86 से 03/88 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	3(सी)	अनिर्णीत
2	7	अनिर्णीत
3	20	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/88 से 03/91 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	3(2)	अनिर्णीत
2	3(3)	अनिर्णीत
3	8(घ)	अनिर्णीत
4	13(ख)	अनिर्णीत
5	13(घ)	अनिर्णीत
6	13(य)	अनिर्णीत
7	13(ड.)	अनिर्णीत
8	13(च)	अनिर्णीत
9	13(छ)	अनिर्णीत
10	14(ख)	अनिर्णीत

11	14(ख)(1)	अनिर्णीत
12	14(ख)(3)	अनिर्णीत
13	14(ग)(2)	अनिर्णीत
14	14(ज)	अनिर्णीत
15	14(ञ)	अनिर्णीत
16	14(5)(ग)	अनिर्णीत
17	15(ण)	अनिर्णीत
18	16(द)	अनिर्णीत
19	16(ण)	अनिर्णीत
20	17(2)(3)	अनिर्णीत
21	18(3)	अनिर्णीत
22	18(4)	अनिर्णीत
23	18(10)(बी)	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/99 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	8	अनिर्णीत
2	9(1)	अनिर्णीत
3	10	अनिर्णीत
4	13(क) से 13(ग) तक	अनिर्णीत
5	14(16) से 14(18) तक	अनिर्णीत
6	15(7) से 15(11) तक	अनिर्णीत
7	17	अनिर्णीत
8	18(4) से 18(6) तक	अनिर्णीत
9	19(1)	अनिर्णीत
10	19(2)	अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 03/2007 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	2(1)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा अपडेट कर दिया गया (वित्तीय स्थिति)I
2	2(2)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I

3	2(3)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
4	2(4)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
5	2(5)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर (निवेश)I
6	3(1)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (अनुदान)I
7	3(2)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I
8	3(3)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (अनुदान)I
9	3(4)(1)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (अनुदान)I
10	3(4)(2)	निर्णीत	नगर पंचायत मेहतपुर से ₹47000/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए I
11	3(4)(3)	निर्णीत	DC व President से approval/ स्वीकृति ले ली गई जिसकी पुष्टि कर ली गई I
12	3(4)(4) से 3(4)(10) तक	अनिर्णीत	
13	3(5)(1)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर ,जिसकी पुष्टि कर ली गई I
14	3(5)(2)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर ,जिसकी पुष्टि कर ली गई I
15	3(5)(3)	अनिर्णीत	
16	3(6)	अनिर्णीत	
17	3(6)(1) से 3(6)(3) तक	अनिर्णीत	
18	4(1)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
19	4(2)	अनिर्णीत	
20	4(3)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
21	4(4)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (दुकान किराया)I
22	4(5)	अनिर्णीत	
23	4(6)	अनिर्णीत	
24	4(7)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
25	4(8) से 4(11)	अनिर्णीत	
26	4(12)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (गृहकर)I
27	4(13)	अनिर्णीत	

28	4(14)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (गृहकर)I
29	4(15)	अनिर्णीत	
30	4(16)	अनिर्णीत	
31	4(17)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर (I.R.D.P)
32	4(18)	अनिर्णीत	
33	4(19)	अनिर्णीत	
34	4(20)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर (तहबाजारी)
35	4(21)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर (Dog tax)
36	4(22)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर (2% stamp duty on registry)
37	4(23)	अनिर्णीत	
38	4(24)	अनिर्णीत	
39	4(25)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
40	4(26)	अनिर्णीत	
41	4(27)	अनिर्णीत	
42	5(1)	अनिर्णीत	
43	5(2)	अनिर्णीत	
44	5(4)	अनिर्णीत	
45	5(5)	आंशिक निर्णीत	
46	5(6)	आंशिक निर्णीत	
47	5(7)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, अभिलेख की पुष्टि कर ली गई I
48	5(9)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
49	5(10)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
50	5(12)	अनिर्णीत	
51	6(1)	अनिर्णीत	
52	6(2)	अनिर्णीत	
53	6(3)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
54	6(4)	अनिर्णीत	
55	6(5)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर

56	6(6)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, पैरा अपडेटेड
57	6(7)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
58	6(8) से 6(13) तक	अनिर्णीत	
59	6(14)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
60	6(15)	अनिर्णीत	
61	7(1) से 7(9) तक	अनिर्णीत	
62	7(10)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई
63	7(11)	अनिर्णीत	
64	7(12)	अनिर्णीत	
65	7(13)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
66	8(1) से 8(5) तक	अनिर्णीत	
67	9	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (स्टाफ अग्रिम)
68	10(1)(1)	अनिर्णीत	
69	10(1)(2)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (GPF)
70	10(1)(3) से 10(1)(12) तक	अनिर्णीत	
71	10(2)	अनिर्णीत	
72	10(3)	अनिर्णीत	
73	11	अनिर्णीत	

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	4.2	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
2	4.3	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
3	5	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (अनुदान)
4	6	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
5	7	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (किराया)
6	7.1	निर्णीत	खुली नीलामी करके उच्च बोली लगाने वाले को होटल किराये पर दिया गया

7	7.2	निर्णीत	सम्पत्ति की मालिक नगर परिषद् चम्बा स्वयं है I अतः प्राप्त किराये की राशि पर सेवाकर देय है लेकिन गृहकर लागू नहीं होगा
8	7.3	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (जंज घर)
9	8.1	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (गृहकर)
10	8.2	अनिर्णीत	
11	8.2.1	निर्णीत	₹1838/- की संशोधित गृहकर की मांग जारी करके राशि की वसूली कर ली गई
12	9	अनिर्णीत	
13	9.1	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
14	9.2	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
15	9.3	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
16	9.4	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (गृहकर)
17	9.5	अनिर्णीत	
18	9.6	निर्णीत	खाते का हिसाब-किताब सीधा DC-Chamba को दिया गया I
19	9.7	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (गृहकर)
20	9.8	अनिर्णीत	
21	9.9	अनिर्णीत	
22	10	अनिर्णीत	
23	11	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
24	12	अनिर्णीत	
25	13	अनिर्णीत	
26	13.1	अनिर्णीत	
27	13.2	अनिर्णीत	
28	13.3	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
29	13.4 से 13.9 तक	अनिर्णीत	
30	13.10	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
31	14	अनिर्णीत	
32	14.1 से 14.6	अनिर्णीत	

33	14.8 से 14.25	अनिर्णीत	
34	14.26	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
35	14.27	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
36	14.28	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
37	14.29	अनिर्णीत	
38	14.31	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
39	14.32 से 14.35 तक	अनिर्णीत	
40	14.37	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
41	14.38	अनिर्णीत	
42	14.39	निर्णीत	समस्त भुगतान बैंक खातों से किए गए थे
43	14.41 से 14.42 तक	निर्णीत	₹4930 की वसूली जी-8 स.13/74 दिनांक 06.07.16 द्वारा कर ली गई है
44	14.43 से 14.44	अनिर्णीत	
45	14.45	आंशिक निर्णीत	
46	14.46	अनिर्णीत	
47	14.47	अनिर्णीत	
48	15	अनिर्णीत	
49	15.1 से 15.8 तक	अनिर्णीत	
50	15.8.1 से 15.8.3	अनिर्णीत	
51	15.9 से 15.15 तक	अनिर्णीत	
52	16	अनिर्णीत	
53	16.1	अनिर्णीत	
54	17	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (स्टाफ अग्रिम)
55	17.1 से 17.4 तक	अनिर्णीत	

(फ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2013 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	4(क)(i)	अनिर्णीत	

2	4(ख)(i)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
3	4(ख)(ii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
4	4(ख)(iii) से 4(ख)(v)	अनिर्णीत	
6	4(ग)(i)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
7	4(ग)(ii)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
8	4(ग)(iii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, पुष्टि कर ली गई
9	4(घ)(i)	अनिर्णीत	
10	4(घ)(ii)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
11	4(ङ.)(i)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
12	4(च)(i)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
13	4(च)(ii)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
14	4(छ)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (SWM)
15	4(ज)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
16	5(i)(ii)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
17	6	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (GPF)
18	9(1)(II)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (अनुदान)
19	9(1)(III)	अनिर्णीत	
20	9(1)(IV)	अनिर्णीत	
21	9(1)(V)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड
22	9(2)(I)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (दुकान किराया)
23	9(2)(II) से 9(2)(V)	अनिर्णीत	
24	9(2)(VII)	अनिर्णीत	
25	9(2)(VIII)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
26	9(2)(IX)	अनिर्णीत	
27	9(2)(X)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
28	9(4)(i) से 9(4)(iv)	अनिर्णीत	
	तक		
29	9(4)(ix)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर

30	10(1) से 10(4) तक	अनिर्णीत	
31	10(5)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
32	10(6) से 10(8) तक	अनिर्णीत	
33	10(9)	निर्णीत	स्टाक प्रविष्टि की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई
34	10(10) से 10(18)	अनिर्णीत	
35	11(1) से 11(5) तक	अनिर्णीत	
36	12(1) से 12(4) तक	अनिर्णीत	
37	13(1)	अनिर्णीत	
38	13(2)	अनिर्णीत	
39	14(1)	अनिर्णीत	
40	14(2)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
41	14(3) से 14(5)	अनिर्णीत	
42	14(6)	निर्णीत	पैरा पुनः प्रारूपित कर दिया गया

(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2015 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹72600 ड्राफ्ट स.884139 दिनांक 29.05.15 द्वारा जमा करवा दी गई है I
2	4.1(i)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I
3	4.1(ii)	अनिर्णीत	
4	4.2(i)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रोकड़ वही के पृष्ठ स. 81 पर दर्ज, जिसकी पुष्टि कर ली गई I
5	4.2(ii)	अनिर्णीत	
6	4.2(iii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, जिसकी पुष्टि कर ली गई I
7	4.3(i)	निर्णीत	बकाया निधि का उपयोग कर लिया गया I
8	4.3(ii)	अनिर्णीत	
9	4.4(i)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I
10	4.5(i)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I

11	4.5(ii)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I
12	4.6	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I
13	4.7(1) से 4.7(3)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, जिसकी पुष्टि कर ली गई I
14	5.1	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I
15	5.2	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I
16	5.3	निर्णीत	बकाया निधि का उपयोग कर लिया गया I
17	6	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I
18	7	अनिर्णीत	
19	8	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I
20	9	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (गृहकर)I
21	9.1	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (गृहकर)I
22	9.2	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (गृहकर)I
23	10	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (दुकान किराया) I
24	10.1(i)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (जंजघर)I
25	10.1(ii)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड ((जंजघर)I
26	10.2	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (रेहन वसेरा)I
27	10.3	निर्णीत	पैरा अपडेटेड I
28	10.4(I)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (पार्किंग) I
29	10.4(II)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (पार्किंग) I
30	10.4(III)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (पार्किंग) I
31	10.5	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (तहबाजारी)I
32	11	अनिर्णीत	
33	11.1	अनिर्णीत	
34	12	निर्णीत	₹20767 की वसूली जी-8 स. 43/080 दिनांक 17.01.18 के अंतर्गत की गई, जिसकी पुष्टि कर ली गई I
35	13(i) से 13(iii) तक	अनिर्णीत	
36	14	निर्णीत	प्रस्ताव स. 820(6) दिनांक 04.09.15 के अंतर्गत हाँउस से समय में वृद्धि की स्वीकृती

			ले ली गई I
37	15	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर 200-250 मीटर lead के लिए उच्च दरें दी गई थीं I
38	16(क)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर अन्य ठेकेदारों से अतिरिक्त (Extra) कार्य नहीं करवाया गया I
39	16(ख)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर अन्य ठेकेदारों से अतिरिक्त (Extra) कार्य नहीं करवाया गया I
40	17(i)	निर्णीत	प्रस्ताव स. 804(3) दिनांक 20.08.15 के अंतर्गत हॉउस द्वारा कार्य में पाए गए विचलन की स्वीकृती दे दी गई I
41	18	अनिर्णीत	
42	19	अनिर्णीत	
43	20(1) से (4)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, जिसकी पुष्टि कर ली गई I
44	21	अनिर्णीत	
45	22(क) से 22(ग)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, अभिलेख की पुष्टि कर ली गई I
46	23	अनिर्णीत	
47	23.1(क)	निर्णीत	₹451/- की वसूली जी-8 स.-45/64 दिनांक 06.03.18 के अंतर्गत कर ली गई है I
48	23.1(ख)	निर्णीत	₹426/- की वसूली जी-8 स.-46/28 दिनांक 07.03.18 के अंतर्गत कर ली गई है I
49	23.1(ग)	अनिर्णीत	
50	23.2	निर्णीत	₹728/- की वसूली जी-8 स.-45/65 दिनांक 06.03.18 ₹184/-, जी-8 स.-46/37 दिनांक 07.03.18 ₹272/- व जी-8 स.-46/38 दिनांक 08.03.18 ₹272/- के अंतर्गत कर ली गई तथा श्री राकेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है I
51	23.3	निर्णीत	दिनांक 28.05.16 को श्री गुरिया सेवा निवृत्त हो चुका था I

52	24	निर्णीत	छुट्टियों का इन्द्राज सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पंजिका में कर दिया गया है I
53	25	अनिर्णीत	
54	26	अनिर्णीत	
55	27(i)	निर्णीत	₹890/- की वसूली जी-8 स.46/61 दिनांक 06.03.18 को कर ली गई I
56	27(ii)(1) से (3)	निर्णीत	₹8504/- की वसूली जी-8 स.5/27,5/28,29/63,29/61,25/97,23/41,19/8 7,14/64,11/8,9/39,6/97 दिनांक 20.02.16, 20.02.16, 20.04.17, 20.04.17, 16.03.17, 09.01.17, 11.11.16, 04.08.16, 17.05.16, 05.04.16, 23.03.16, 01.02.16 (Rs.90+114+100+700+1000+1000+1500+1500+500+500+500+1000) को कर ली गई
57	27(iii)	निर्णीत	स्टाक रजिस्टर की जाँच कर ली गई सभी मदें उपभोग/प्रयोग कर ली गई थी I
58	27(iv)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, जिसकी पुष्टि कर ली गई I
59	27(v)	निर्णीत	पैरा अपडेटेड (प्रत्यक्ष सत्यापन)

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 1.4.15 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	375
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	23
(-) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	131
31.3.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	267

